"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जनवरी 2018—माघ 6, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 17-9/2017/एक/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन वाहन पात्रता नियम, 2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उपरोक्त नियमों में,—

(1) नियम-3 के भाग (क) के सरल क्रमांक-10 के बाद सरल क्रमांक-11 में निम्नानुसार जोड़ा जाए,
सरल क्रमांक-11, अध्यक्ष, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़.

2. उपरोक्त संशोधन इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

नया रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2017

क्रमांक 1999/आर-2204/2017/1-8/स्था.—श्री सुरेश केशी, विशेष सहायक, माननीय मंत्री, सहकारिता, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को दिनांक 22-05-17 से 03-06-17 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश केशी, आगामी आदेश तक, विशेष सहायक, के पद पर मान. मंत्री, सहकारिता, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग में पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री केशी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2017

क्रमांक 2081/LV-450-1-2017-Oct./1-8/स्था.—श्री पी. एन. एस. यादव, सहायक सेनानी, (सुरक्षा अधिकारी) मंत्रालय, को दिनांक 20-11-2017 से 04-12-2017 तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. एन. एस. यादव, आगामी आदेश तक सहायक सेनानी, (सुरक्षा अधिकारी) मंत्रालय, के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री यादव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2017

क्रमांक 2085/LV-14-379-2017-Nov./1-8.—श्री जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग का दिनांक 24-11-2017 से 25-11-2017 तक 02 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जेवियर केरकेट्टा, आगामी आदेश तक अवर सचिव, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जेवियर केरकेट्टा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केरकेट्टा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2017

क्रमांक 2087/LV-20-485-2017-Oct./1-8/स्था.—श्री प्रदीप कुमार भटनागर, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 04-10-2017 से 05-10-2017 तक 02 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री भटनागर आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री भटनागर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भटनागर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2017

क्रमांक 2089/LV-52-167-2017-Sep./1-8/स्था.—श्री एच. के. उईके, स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 21-09-2017 से 13-10-2017 तक 23 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. उईके, आगामी आदेश तक स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एच. के. उईके को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एच. के. उईके अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2017

क्रमांक 2091/LV-1-1335-2017-Nov./1-8.—श्री विजय कुमार चौधरी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग की निजी स्थापना, छत्तीसगढ़ मंत्रालय का दिनांक 06-11-2017 से 01-12-2017 तक 26 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चौधरी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, अपर मुख्य सचिव, वन विभाग की निजी स्थापना के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चौधरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2017

क्रमांक 2095/LV-55-187-2017-Nov./1-8.—श्री सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय का दिनांक 29-11-2017 से 01-12-2017 तक 03 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुनील विजयवर्गीय आगामी आदेश तक अवर सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुनील विजयवर्गीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2017

क्रमांक 2097/LV-14-340-2017-Oct./1-8/स्था.—श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 27-11-2017 से 01-12-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव, आगामी आदेश तक सचिव, कृषि विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्रमांक 2107/LV-22-298-2017-Nov./1-8.—श्री एस. के. शर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 04-12-2017 से 08-12-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. शर्मा, आगामी आदेश तक अवर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री शर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2017

क्रमांक 2109/LV-100-41-2017-May./1-8.—श्रीमती कमला टेम्भुरने, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अर्जित अवकाश	दिनांक 05-05-2017 से 09-05-2017 तक	05 दिवस
अर्जित अवकाश	दिनांक 05-08-2017 से 11-08-2017 तक	07 दिवस
अर्जित अवकाश	दिनांक 26-08-2017 से 06-09-2017 तक	12 दिवस
अर्जित अवकाश	दिनांक 25-09-2017 से 29-09-2017 तक	05 दिवस

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती टेम्भुरने, आगामी आदेश तक अवर सचिव, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती टेम्भुरने को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती टेम्भुरने अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नया रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2017

क्रमांक 2115/LV-14-340-2017-Oct./1-8/स्था.—श्री डी. के. ठाकुर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, को दिनांक 14-09-2017 से 03-12-2017 तक 83 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ठाकुर आगामी आदेश तक मे विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर मुख्यमंत्री सचिवालय में पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री ठाकुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर सचिव.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 4-12/56/2017/इ.सू.प्रौ.—राज्य शासन, एतद्द्वारा विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 अगस्त 2017 की कंडिका 8.9 एवं 8.10 के परिपालन में “छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना” (स्काई) अंतर्गत मोबाइल टॉवर की स्थापना हेतु शासकीय भवनों की छत के नि:शुल्क उपयोग करने एवं शासकीय भूमि के नि:शुल्क आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर भूमि प्राप्त करने के लिए विभाग मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स को अधिकृत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 4-47/2014/56/इ.सू.प्रौ.—इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, एतद्द्वारा,छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6) दिनांक 5 जुलाई, 2017 में उल्लिखित नियम 3 (एक) (ब) अनुसार छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 का परिशिष्ट-3 निम्नानुसार अधिसूचित करता है :—

छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002

परिशिष्ट-3
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सामग्री की खरीदी

(अ) राज्य के शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, मंडलों, जिला एवं जनपद पंचायतों तथा नगरीय निकायों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सामग्री की खरीदी भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध दर एवं विशिष्टियां (Specification) अनुसार जेन पोर्टल से सीधे खरीदी, रिवर्स ऑक्शन या ई-बिडिंग प्रक्रिया से की जाए.

(ब) ऐसी सामग्री जो जेम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है उनकी खरीदी भंडार क्रय नियम-2002 के नियम 4 अनुसार खुली निविदा के माध्यम से किया जाए.

2. उपरोक्त परिशिष्ट 3 के प्रावधान इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 08 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 4-44/56/2015/इ.सू.प्रौ.—राज्य शासन एतद्द्वारा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सेक्टर 21, नया रायपुर में कमर्शियल टॉवर-“सी” के फ्लोर 2 से 11 तक को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र अधिसूचित करता है.

2. कमर्शियल टॉवर की आवंटनकर्त्ता संस्था आवश्यकता अनुसार अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के परिसर को गैर सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों को आवंटित कर सकती है, परन्तु उन इकाईयों को “छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्टॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19” अंतर्गत किसी भी प्रकार की छूट/प्रोत्साहन/अनुदान आदि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एलेक्स पॉल मेनन, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 7-17/2017/32.—राज्य शासन, श्री विवेक कुमार ढांड, भा.प्र.से., मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से भू-संपदा (विनियम और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 21 एवं 22 सहपठित छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2017 के नियम 19 के प्रावधानों के अंतर्गत अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण नियुक्त करता है.

2. उपरोक्तानुसार नियुक्ति के फलस्वरूप श्री विवेक कुमार ढांड की सेवा शर्तें पदावधि, वेतन एवं भत्ते आदि ऊपर विर्णत अधिनियम/नियम के प्रावधानों से शासित होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक 7799/एफ-8/89/PMFBY/2016/14-2.—विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4211/एफ-08/89/PMFBY/2016/14-2 दिनांक 24-05-2017 के बिन्दु क्रमांक-13 (ख) के प्रावधान के अध्यधीन संचालनालय कृषि के पत्र क्र. 759 दि. 26-09-2017, पत्र क्र. 760 दि. 26-09-2017 एवं पत्र क्र. 769 दि. 29-09-2017 द्वारा क्रमशः जिला दंतेवाड़ा, बलौदा बाजार एवं बेमेतरा के विभिन्न अधिसूचित ईकाई में औसत से कम वर्षा की स्थिति में अधिसूचित फसलों की अनुमानित उत्पादकता निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज से 50 प्रतिशत से कम आना संभावित मानते हुए मध्यावधि दावा की प्रतिपूर्ति प्रस्तावित की गई है.

राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4211/एफ-08/89/PMFBY/2016/14-2 दिनांक 24-05-2017 के बिन्दु क्रमांक-13 (ख) के तहत उक्त जिलों के अधिसूचित बीमा इकाई (ग्राम पंचायत) एवं उसके सम्मुख उल्लेखित फसल जिनका विवरण इस अधिसूचना के परिशिष्ट-1, 2 एवं 3 पर संलग्न है. को मध्यावधि क्षतिपूर्ति हेतु पात्र घोषित करती है. इन क्षेत्रों के ऐसे समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषकों जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2017 में अधिसूचित फसल हेतु निर्धारित प्रीमियम अदा कर बीमा आवरण प्राप्त किया है, योजनान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर निर्धारित की जाने वाली अंतरिम क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे —

(1) इस विभाग के आदेश क्र. 11890/एफ-08/89/PMFBY/2016-17/14-2 दिनांक 06-08-2016 एवं समसंख्यक आदेश क्र. 11892 दिनांक 06-08-2016 द्वारा गठित जिला/तहसील स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा योजना प्रावधानों के अनुरूप उक्त क्षेत्र में संभावित क्षति का मूल्यांकन करेगी.

(2) उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत अनुमानित उपज, निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज से 50 प्रतिशत से कम आना संभावित होने की स्थिति में संभावित क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत तक दावा भुगतान फसल मौसम के दौरान देय होगा. यह क्षतिपूर्ति राशि अधिसूचित क्षेत्रों में योजनान्तर्गत किये जाने वाले फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज के आधार पर निर्धारित अंतिम दावा राशि में समायोजित की जायेगी.

(3) संयुक्त समिति द्वारा मध्यावधि क्षतिपूर्ति हेतु दावा राशि का प्रस्ताव संचालनालय कृषि, छ.ग. को इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा. उक्त प्रस्ताव पर संचालक कृषि के अनुशंसा उपरांत क्रियान्वयक बीमा कम्पनी द्वारा मध्यावधि क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

परिशिष्ट–1

जिला– दन्तेवाड़ा

तहसील– दन्तेवाड़ा, रा.नि.मं.–दन्तेवाड़ा,			
क्रमांक	अधिसूचना के परिशिष्ट–01 में अंकित अनुक्रमांक	पंचायत का नाम	फसल का नाम
1	1	केशापुर	धान असिंचित
2	2	कंवलनार	धान असिंचित
3	3	भोगाम	धान असिंचित
4	4	टेकनार	धान असिंचित
5	5	बालपेट	धान असिंचित
6	6	तुड़पारास	धान असिंचित
7	7	पण्डेवार	धान असिंचित
8	8	मंगनार	धान असिंचित
9	9	कामालूर	धान असिंचित
10	10	कुम्हाररास	धान असिंचित
11	11	गमावाड़ा	धान असिंचित
12	12	धुरली	धान असिंचित
13	14	दन्तेवाड़ा(नं.पं.)	धान असिंचित
14	15	चितालंका	धान असिंचित
15	13	मसेनार	धान असिंचित
तहसील– दन्तेवाड़ा, रा.नि.मं.–पोन्दुम			
क्र.	अधिसूचना के परिशिष्ट–01 में अंकित अनुक्रमांक	पंचायत का नाम	फसल का नाम
1	4	बालूद	धान असिंचित
2	6	मटेनार	धान असिंचित
3	7	फूलनार	धान असिंचित
4	9	तोयलंका	धान असिंचित
5	10	गदापाल	धान असिंचित
6	11	नेटापुर	धान असिंचित
7	12	चन्देनार	धान असिंचित
8	1	पोन्दुम	धान असिंचित
9	2	कावड़गांव	धान असिंचित
10	3	जारम	धान असिंचित
11	5	चितालुर	धान असिंचित
12	8	मेटापाल	धान असिंचित

तहसील– कुआकोण्डा, रा.नि.मं.–कुआकोण्डा,			
क्र.	अधिसूचना के परिशिष्ट–01 में अंकित अनुक्रमांक	पंचायत का नाम	फसल का नाम
1	1	गढ़मिरी	धान असिंचित
2	6	श्यामगिरी	धान असिंचित
3	15	पालनार	धान असिंचित
4	3	नकुलनार	धान असिंचित
5	8	महाराहाऊरनार	धान असिंचित
6	5	मैलावाड़ा	धान असिंचित
7	4	गोंगपाल	धान असिंचित
8	2	कुआकोण्डा	धान असिंचित
9	11	जबेली	धान असिंचित
10	10	नीलावाया	धान असिंचित
11	7	टिकनपाल	धान असिंचित

तहसील– बड़ेबचेली, रा.नि.मं.–बड़ेबचेली,			
क्र.	अधिसूचना के परिशिष्ट–01 में अंकित अनुक्रमांक	पंचायत का नाम	फसल का नाम
1	2	बड़ेबचेली	धान असिंचित
2	5	गंजेनार	धान असिंचित
3	6	दुगेली	धान असिंचित
4	7	बड़ेकमेली	धान असिंचित
5	8	नेरली	धान असिंचित
6	1	भांसी	धान असिंचित

तहसील– बड़ेबचेली, रा.नि.मं.–किरन्दुल,			
क्र.	अधिसूचना के परिशिष्ट–01 में अंकित अनुक्रमांक	पंचायत का नाम	फसल का नाम
1	8	गुमियापाल	धान असिंचित
2	4	कलेपाल	धान असिंचित
3	2	किरन्दुल	धान असिंचित
4	5	मदाड़ी	धान असिंचित
5	1	कड़मपाल	धान असिंचित
6	3	कोड़ेनार	धान असिंचित
7	7	हिरोली	धान असिंचित
8	6	समलवार	धान असिंचित
9	10	समेली	धान असिंचित
10	11	पोटाली	धान असिंचित

तहसील– कटेकल्याण, रा.नि.मं.–कटेकल्याण,			
क्र.	अधिसूचना के परिशिष्ट–01 में अंकित अनुक्रमांक	पंचायत का नाम	फसल का नाम
1	6	गाटम	धान असिंचित
2	2	सूरनार	धान असिंचित
3	1	धनिकरका	धान असिंचित
4	4	बड़ेलखापाल	धान असिंचित
5	8	परचेली	धान असिंचित
6	9	चिकपाल	धान असिंचित
7	13	गुड़से	धान असिंचित
8	14	तुमकपाल	धान असिंचित
9	7	बेंगलूर	धान असिंचित
10	5	कटेकल्याण	धान असिंचित
तहसील– कटेकल्याण, रा.नि.मं.–बड़ेगुडरा,			
क्र.	अधिसूचना के परिशिष्ट–01 में अंकित अनुक्रमांक	पंचायत का नाम	फसल का नाम
1	1	टेटम	धान असिंचित
2	3	तेलम	धान असिंचित
3	2	छोटेगुडरा	धान असिंचित
4	5	मोखपाल	धान असिंचित
5	6	महाराकरका	धान असिंचित
6	4	बड़ेगुडरा	धान असिंचित
7	8	कोरीरास	धान असिंचित
8	7	बड़ेबेड़मा	धान असिंचित
9	9	ऐड़पाल	धान असिंचित
तहसील– गीदम, रा.नि.मं.–गीदम,			
क्र.	अधिसूचना के परिशिष्ट–01 में अंकित अनुक्रमांक	पंचायत का नाम	फसल का नाम
1	11	बिंजाम	धान असिंचित
2	6	कारली	धान असिंचित
3	12	झोड़ियाबाड़म	धान असिंचित
4	10	फरसपाल	धान असिंचित
5	9	आलनार	धान असिंचित
6	18	गुमड़ा	धान असिंचित
7	17	जावंगा	धान असिंचित

तहसील– गीदम, रा.नि.मं.–गीदम,			
क्र.	अधिसूचना के परिशिष्ट–01 में अंकित अनुक्रमांक	पंचायत का नाम	फसल का नाम
8	15	हाऊरनार	धान असिंचित
9	8	समलूर	धान असिंचित
10	7	बड़ेसुरोखी	धान असिंचित
11	14	हारम	धान असिंचित
12	2	घोटपाल	धान असिंचित
13	19	गीदम	धान असिंचित
14	4	कटुलनार	धान असिंचित
15	3	नागुल	धान असिंचित
16	5	मड़से	धान असिंचित
17	16	बड़ेपनेड़ा	धान असिंचित

तहसील– गीदम, रा.नि.मं.–बारसुर,			
क्र.	अधिसूचना के परिशिष्ट–01 में अंकित अनुक्रमांक	पंचायत का नाम	फसल का नाम
1	15	मुस्तलनार	धान असिंचित
2	3	कोरगांव	धान असिंचित
3	4	पाउरनार	धान असिंचित
4	14	गुमलनार	धान असिंचित
5	24	बारसुर	धान असिंचित
6	8	हितामेटा	धान असिंचित
7	7	भटपाल	धान असिंचित
8	22	बोदली	धान असिंचित
9	16	छोटेतुमनार	धान असिंचित
10	21	बड़ेतुमनार	धान असिंचित
11	23	बांगापाल	धान असिंचित
12	17	मोफलनार	धान असिंचित
13	18	गुटोली	धान असिंचित
14	2	चेरपाल	धान असिंचित
15	1	तुमरीगुण्डा	धान असिंचित
16	5	मूचनार	धान असिंचित
17	6	कोरलापाल	धान असिंचित
18	9	हिड़पाल	धान असिंचित
19	11	उपेट	धान असिंचित
20	10	कोरकोटी	धान असिंचित
21	20	हीरानार	धान असिंचित
22	19	कासोली	धान असिंचित
23	12	रोंजें	धान असिंचित
24	13	छिंदनार	धान असिंचित

परिशिष्ट–2

जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा

तहसील – बलौदाबाजार, रा.नि.म. बलौदाबाजार				
क्र.	परिशिष्ट 01 के अनुसार अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	फसल	
1	1	धंवई	धान सिंचित	
2	2	कोलियारी	धान सिंचित	
3	3	सलौनी	धान सिंचित	
4	4	ढाबाडीह	धान सिंचित,	धान असिंचित
5	5	खजुरी	धान सिंचित	धान असिंचित
6	6	देवरी	धान सिंचित	धान असिंचित
7	7	मुढियाडीह	धान सिंचित	–
8	8	बेमेतरा	धान सिंचित	–
9	9	मोहतरा	धान सिंचित	–
10	11	सोनाडीह	धान सिंचित	धान असिंचित
11	12	मेंढ़	धान सिंचित	–
12	13	रसेडी	धान सिंचित	–
13	14	चरौटी	धान सिंचित	–
14	15	मगरचबा	धान सिंचित	धान असिंचित
15	16	लटुवा	धान सिंचित	धान असिंचित
16	17	शुक्लामाठा	धान सिंचित	धान असिंचित
17	18	भरसेली मा.गु.	धान सिंचित	धान असिंचित
18	19	पौसरी	धान सिंचित	धान असिंचित
19	20	करमदा	धान सिंचित	–
20	21	गैतरा	धान सिंचित	धान असिंचित
21	22	अर्जुनी	धान सिंचित	धान असिंचित
22	23	रवान	धान सिंचित	धान असिंचित
23	24	खैरताल	धान सिंचित	–
24	26	करमनडीह	धान सिंचित	धान असिंचित
25	27	ढनढनी	धान सिंचित	धान असिंचित
26	28	सेम्हराडीह	धान सिंचित	धान असिंचित
27	29	सरकीपार	धान सिंचित	धान असिंचित
28	30	खम्हरिया	धान सिंचित	–
29	31	चांपा	धान सिंचित	–
30	32	भरूवाडीह	धान सिंचित	धान असिंचित
31	33	टेलकी	धान सिंचित	धान असिंचित
32	34	रिसदा	धान सिंचित	धान असिंचित
33	35	कुकुरदी	धान सिंचित	धान असिंचित
34	36	कोकड़ी	धान सिंचित	धान असिंचित
35	40	दशरमा	धान सिंचित	–
36	41	पुरेनाखपरी	धान सिंचित	धान असिंचित
37	44	बलौदाबाजार	धान सिंचित	–
38	45	भरसेला बड़ा	धान सिंचित	धान असिंचित

तहसील – बलौदाबाजार रा.नि.म. लवन				
क्र.	परिशिष्ट 01 के अनुसार अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	फसल	
1	2	पनगांव	धान सिंचित	–
2	5	डोटोपार	धान सिंचित	–
3	7	बिटकुली	धान सिंचित	धान असिंचित
4	8	खैंदा (डमरू)	धान सिंचित	धान असिंचित
5	11	सुढेला	धान सिंचित	धान असिंचित
6	12	डमरू	धान सिंचित	धान असिंचित
7	13	नवापारा	धान सिंचित	धान असिंचित
8	14	अमलकुंडा	धान सिंचित	धान असिंचित
9	15	ताराशिव	धान सिंचित	धान असिंचित
10	19	कसियारा	धान सिंचित	धान असिंचित
11	20	जुडा	–	धान असिंचित
12	21	पैजनी	धान सिंचित	धान असिंचित
13	22	मुण्डा	धान सिंचित	धान असिंचित
14	24	अहिल्दा	धान सिंचित	–
15	26	चिचिरदा	धान सिंचित	धान असिंचित
16	27	परसाडीह	धान सिंचित	धान असिंचित
17	28	पण्डरिया	–	धान असिंचित
18	29	बाजारभाठा		धान असिंचित
19	30	करदा	धान सिंचित	धान असिंचित
20	31	सरखोर	धान सिंचित	धान असिंचित
21	32	अमलीडीह	धान सिंचित	धान असिंचित
22	33	कोयदा	धान सिंचित	धान असिंचित
23	34	चंगोरी	–	धान असिंचित
24	35	सिरियाडीह	–	धान असिंचित
25	37	तिल्दा	–	धान असिंचित
26	38	मरदा	–	धान असिंचित
27	39	लाटा	–	धान असिंचित
28	40	डोंगरा	धान सिंचित	धान असिंचित
29	41	डोंगरीडीह	धान सिंचित	धान असिंचित
30	43	हरदी	–	धान असिंचित
31	44	कोलिहा	धान सिंचित	धान असिंचित
32	46	कुम्हारी	धान सिंचित	धान असिंचित
33	47	कोहरौद	धान सिंचित	धान असिंचित
34	49	तुरमा	धान सिंचित	धान असिंचित
35	50	बम्हनपुरी	धान सिंचित	धान असिंचित
36	51	खैरा	धान सिंचित	धान असिंचित
37	52	धाराशिव	धान सिंचित	धान असिंचित
38	54	सिंघारी	धान सिंचित	धान असिंचित
39	55	सुनसुनीया	–	धान असिंचित
40	56	भद्रा	धान सिंचित	धान असिंचित
41	57	सुढेली	धान सिंचित	–
42	58	लवनबंद	धान सिंचित	–

तहसील – पलारी, रा.नि.म. पलारी				
क्र.	परिशिष्ट 01 के अनुसार अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	फसल	
1	1	भवानीपुर	धान सिंचित	धान असिंचित
2	2	रीवाडीह	धान सिंचित	–
3	3	कौड़िया	धान सिंचित	धान असिंचित
4	4	जंगलोर	धान सिंचित	धान असिंचित
5	5	यटगन	धान सिंचित	–
6	6	कुसमी	धान सिंचित	धान असिंचित
7	7	कुकदा	धान सिंचित	धान असिंचित
8	8	घोटिया	धान सिंचित	–
9	9	चिरघोल	धान सिंचित	–
10	10	दतान	धान सिंचित	धान असिंचित
11	11	अछोली	धान सिंचित	–
12	12	गातापार	धान सिंचित	–
13	13	अमेरा	धान सिंचित	–
14	14	केसला	धान सिंचित	धान असिंचित
15	15	बिनौरी	धान सिंचित	धान असिंचित
16	16	रसौटा	धान सिंचित	धान असिंचित
17	17	छेरकाडीह	–	धान असिंचित
18	18	बलौदी	धान सिंचित	धान असिंचित
19	19	कोसमंदा	धान सिंचित	धान असिंचित
20	22	गबौद	धान सिंचित	धान असिंचित
21	24	गदहीडीह	धान सिंचित	धान असिंचित
22	26	ठेलकी	धान सिंचित	धान असिंचित
23	27	लच्छनपुर	धान सिंचित	धान असिंचित
24	28	धमनी	धान सिंचित	धान असिंचित
25	29	दतान ब	धान सिंचित	–
26	30	मुड़ियाडीह	धान सिंचित	–
27	31	कानाकोट	धान सिंचित	धान असिंचित
28	32	बांसबिनौरी	धान सिंचित	धान असिंचित
29	33	सलौनी	धान सिंचित	धान असिंचित
30	34	लरिया	धान सिंचित	धान असिंचित
31	35	सीतापार	धान सिंचित	धान असिंचित
32	36	अमेठी	धान सिंचित	धान असिंचित
33	37	टेमरी	धान सिंचित	धान असिंचित
34	38	रोहांसी	धान सिंचित	–
35	39	खपरी (बोईरडीह)	धान सिंचित	–
36	40	नवागांव	धान सिंचित	धान असिंचित
37	41	टिपायन	धान सिंचित	धान असिंचित
38	42	लकड़िया	धान सिंचित	–
39	43	ओड़ान	धान सिंचित	धान असिंचित
40	44	धौराभाठा	धान सिंचित	धान असिंचित
41	45	सेमरिया	धान सिंचित	धान असिंचित
42	46	चरौदा	धान सिंचित	धान असिंचित
43	47	दतरेंगी	धान सिंचित	–
44	48	बम्हनी	धान सिंचित	–
45	49	पलारी	धान सिंचित	धान असिंचित
46	50	कोसमंदी	धान सिंचित	–
47	51	छड़िया	धान सिंचित	धान असिंचित
48	52	खपरी अ	धान सिंचित	–
49	53	सोनारदेवरी	धान सिंचित	धान असिंचित
50	54	बोईरडीह	धान सिंचित	–

तहसील – पलारी रा.नि.म. सण्डी				
क्र.	परिशिष्ट 01 के अनुसार अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	फसल	
1	1	छेरकाडीह	धान सिंचित	–
2	2	गबौद	धान सिंचित	–
3	3	गुमा	धान सिंचित	धान असिंचित
4	4	सरसेनी	धान सिंचित	धान असिंचित
5	5	गितकेरा	धान सिंचित	–
6	6	बेल्हा	धान सिंचित	–
7	7	सैहा	धान सिंचित	–
8	8	औंरासी	धान सिंचित	–
9	9	चुचरूंगपुर	धान सिंचित	–
10	10	गाड़ाभाठा	धान सिंचित	–
11	11	खपरी स	धान सिंचित	धान असिंचित
12	12	परसवानी	धान सिंचित	–
13	14	टीला	धान सिंचित	–
14	15	देवसुन्द्रा	धान सिंचित	धान असिंचित
15	16	सकरी	धान सिंचित	–
16	17	फुन्डरडीह	धान सिंचित	धान असिंचित
17	18	मुसवाडीह	धान सिंचित	धान असिंचित
18	19	रेंगाडीह	धान सिंचित	धान असिंचित
19	20	जारा	धान सिंचित	धान असिंचित
20	21	साराडीह	धान सिंचित	–
21	22	ससहा	धान सिंचित	धान असिंचित
22	23	सुंदरी	धान सिंचित	–
23	24	गोड़ा	धान सिंचित	धान असिंचित
24	25	सर्रा	धान सिंचित	–
25	26	सिघोरा	धान सिंचित	धान असिंचित
26	27	खैरा	धान सिंचित	धान असिंचित
27	28	मुड़पार	धान सिंचित	–
28	29	खरतोरा	धान सिंचित	–
29	30	जर्वे	धान सिंचित	धान असिंचित
30	32	लटेरा	धान सिंचित	–
31	33	सांहडा	धान सिंचित	धान असिंचित
32	34	गाड़ाकुसमी	धान सिंचित	–
33	35	गैतरा	धान सिंचित	धान असिंचित
34	37	सुन्द्रावन	धान सिंचित	–
35	39	मोहगांव	धान सिंचित	–
36	40	तेलासी	धान सिंचित	–
37	41	गिधपुरी	धान सिंचित	–
38	42	मलपुरी	धान सिंचित	धान असिंचित
39	43	बिजराडीह	धान सिंचित	धान असिंचित
40	44	मोहान	धान सिंचित	–
41	45	हरिनमटठा	धान सिंचित	धान असिंचित
42	46	कोदवा	धान सिंचित	–
43	47	गिर्रा	धान सिंचित	धान असिंचित
44	48	सिसदेवरी	धान सिंचित	धान असिंचित
45	49	संकरी स	धान सिंचित	–
46	50	बोहारडीह	धान सिंचित	–
47	51	पठारीडीह	धान सिंचित	–

तहसील – भाटापारा, रा.नि.म. भाटापारा				
क्र.	परिशिष्ट 01 के अनुसार अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	फसल	
1	1	तरेंगा	–	धान असिंचित
2	2	पेण्ड्री	–	धान असिंचित
3	4	खोलवा	–	धान असिंचित
4	5	सुमा	–	धान असिंचित
5	6	देवरी	–	धान असिंचित
6	7	सेमरिया	–	धान असिंचित
7	8	टेहका	–	धान असिंचित
8	9	सुरजपुरा	–	धान असिंचित
9	10	दतरेंगा	–	धान असिंचित
10	11	दतरेंगी	–	धान असिंचित
11	12	मधुबन	–	धान असिंचित
12	13	परसवानी अ	–	धान असिंचित
13	14	कोटमी	–	धान असिंचित
14	15	कडार	–	धान असिंचित
15	16	जरहागांव	–	धान असिंचित
16	17	लेवई	–	धान असिंचित
17	18	अकलतरा	–	धान असिंचित
18	20	खपराडीह	–	धान असिंचित
19	21	बिजराडीह	–	धान असिंचित
20	22	सुरखी	–	धान असिंचित
21	23	टिकुलिया	–	धान असिंचित
22	24	ढाबाडीह	–	धान असिंचित
23	25	मजगांव	धान सिंचित	धान असिंचित
24	26	बोडतरा	–	धान असिंचित
25	27	कोडापार	–	धान असिंचित
26	28	खोखली	–	धान असिंचित
27	29	आलेसुर	–	धान असिंचित
28	30	गोंगिया	–	धान असिंचित
29	31	सेमरिया ब	–	धान असिंचित
30	33	गुर्रा	–	धान असिंचित
31	35	तुरमा	–	धान असिंचित
32	36	अमलीडीह	–	धान असिंचित
33	37	खम्हरिया	–	धान असिंचित
34	38	हसदा	–	धान असिंचित
35	39	कोसमंदा	–	धान असिंचित
36	40	धुर्राबांधा	–	धान असिंचित
37	41	बोरसी ब	–	धान असिंचित
38	42	खैरी आर	–	धान असिंचित
39	43	भाटापारा शहर	–	धान असिंचित
40	44	गांडाडीह	–	धान असिंचित

तहसील – भाटापारा, रा.नि.म. निपनिया				
क्र.	परिशिष्ट 01 के अनुसार अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	फसल	
1	1	धौराभाठा	–	धान असिंचित
2	2	भरतपुर	–	धान असिंचित
3	3	मोपका	–	धान असिंचित
4	4	गोढी एस	–	धान असिंचित
5	5	लमती	–	धान असिंचित
6	6	सिंगारपुर	–	धान असिंचित
7	7	कोदवा	–	धान असिंचित
8	8	सेम्हराडीह	–	धान असिंचित
9	9	कोनी	–	धान असिंचित
10	10	निपनिया	–	धान असिंचित
11	11	भोथिडीह	–	धान असिंचित
12	13	सिल्वा	–	धान असिंचित
13	14	मोपकी	–	धान असिंचित
14	15	धनेली	–	धान असिंचित
15	16	पथरिया	–	धान असिंचित
16	17	रामपुर	–	धान असिंचित
17	18	लालपुर	–	धान असिंचित
18	19	ओटेबंद	–	धान असिंचित
19	20	करहीबाजार	–	धान असिंचित
20	21	राजपुर	–	धान असिंचित
21	22	बिटकुली	–	धान असिंचित
22	23	केसला	–	धान असिंचित
23	24	मेंकरी	–	धान असिंचित
24	25	लच्छनपुर	–	धान असिंचित
25	26	खैरा	–	धान असिंचित
26	27	चिचपोल	–	धान असिंचित
27	28	गुडेलिया	–	धान असिंचित
28	29	पाटन	–	धान असिंचित
29	31	नवागांव	–	धान असिंचित
30	32	बोरसी घ	–	धान असिंचित
31	33	कुकदा	–	धान असिंचित
32	34	खैरी क	–	धान असिंचित
33	35	पौसरी	–	धान असिंचित
34	36	बेंदरी	–	धान असिंचित
35	37	गोढी टी	–	धान असिंचित
36	38	टोनाटार	धान सिंचित	–
37	39	मिरगी	धान सिंचित	धान असिंचित
38	40	मल्दी	धान सिंचित	धान असिंचित
39	41	अमेठी	–	धान असिंचित
40	43	मोपर	धान सिंचित	धान असिंचित
41	45	पासीद	–	धान असिंचित
42	46	खपरी आर	–	धान असिंचित

तहसील – सिमगा रा.नि.म. सिमगा				
क्र.	परिशिष्ट 01 के अनुसार अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	फसल	
1	1	चक्रवाय	धान सिंचित	धान असिंचित
2	2	तुलसी	धान सिंचित	–
3	3	करहुल	धान सिंचित	धान असिंचित
4	4	चंदियापथरा	धान सिंचित	धान असिंचित
5	5	ढेकुना	धान सिंचित	–
6	6	लिमतरा	धान सिंचित	–
7	7	संजारीनवांगांव	धान सिंचित	–
8	8	गणेशपुर	–	धान असिंचित
9	9	कोलिहा	धान सिंचित	–
10	10	दौरेंगा	धान सिंचित	–
11	11	रोहरा	धान सिंचित	–
12	12	मांचाभाट	धान सिंचित	–
13	13	दावनबोड़	धान सिंचित	–
14	14	बुचीपार	धान सिंचित	–
15	15	अकलतरा	धान सिंचित	–
16	16	मोटियारीडीह	धान सिंचित	–
17	17	चौरेंगा	धान सिंचित	–
18	18	मनोहरा	धान सिंचित	–
19	19	विश्रामपुर	धान सिंचित	–
20	20	दरचुरा	धान सिंचित	–
21	21	किरवई	धान सिंचित	–
22	22	दामाखेड़ा	धान सिंचित	–
23	23	चंदेरी	धान सिंचित	–
24	24	बैकोनी	धान सिंचित	धान असिंचित
25	25	बनसांकरा	धान सिंचित	धान असिंचित
26	27	कचलोन	धान सिंचित	धान असिंचित
27	28	खण्डुआ	धान सिंचित	धान असिंचित
28	29	औरेठी	धान सिंचित	–
29	31	दुलदुला	धान सिंचित	–
30	32	कामता	धान सिंचित	धान असिंचित
31	33	नवांगांव	धान सिंचित	–
32	34	केसदा	धान सिंचित	–
33	35	झिरिया	धान सिंचित	–
34	36	डोंगरिया	धान सिंचित	–
35	37	रिंगनी	धान सिंचित	–
36	38	पौंसरी	धान सिंचित	धान असिंचित
37	39	सिमगा शहर	धान सिंचित	धान असिंचित
38	40	तोरा	धान सिंचित	–
39	42	रैंगाबोड़	धान सिंचित	–
40	44	हरिनमटठा	–	धान असिंचित
41	47	मुसवाडीह	धान सिंचित	–
42	48	अड़बंधा	धान सिंचित	धान असिंचित
43	49	ढाबाडीह	धान सिंचित	–

तहसील – सिमगा रा.नि.म. जरौद				
क्र.	परिशिष्ट 01 के अनुसार अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	फसल	
1	1	जरौद	धान सिंचित	–
2	2	सिनोधा	–	धान असिंचित
3	4	फरहदा	धान सिंचित	धान असिंचित
4	5	मटिया	–	धान असिंचित
5	6	आमाकोनी	धान सिंचित	धान असिंचित
6	7	टेकारी	धान सिंचित	धान असिंचित
7	8	शि.केसली	धान सिंचित	धान असिंचित
8	10	डिग्गी	–	धान असिंचित
9	12	लोहारी	धान सिंचित	धान असिंचित
10	13	नवापारा	धान सिंचित	–
11	14	बिटकुली	धान सिंचित	–
12	17	बासीन	धान सिंचित	धान असिंचित
13	18	सुहेला	धान सिंचित	धान असिंचित
14	20	बुड़गहन	धान सिंचित	धान असिंचित
15	21	भटभेरा	धान सिंचित	धान असिंचित
16	23	कुथरौद	धान सिंचित	धान असिंचित
17	24	सकलोर	धान सिंचित	धान असिंचित
18	25	झीपन	–	धान असिंचित
19	26	रानीजरौद	धान सिंचित	धान असिंचित
20	27	अमेरी	धान सिंचित	धान असिंचित
21	28	पेण्ड्री	धान सिंचित	धान असिंचित
22	30	चंडी	धान सिंचित	धान असिंचित
23	31	पड़कीडीह	धान सिंचित	धान असिंचित
24	32	रवेली	धान सिंचित	धान असिंचित
25	33	खपराडीह	धान सिंचित	धान असिंचित
26	34	रावन	धान सिंचित	धान असिंचित
27	35	तिल्दाबांधा	धान सिंचित	धान असिंचित
28	36	नेवारी	धान सिंचित	धान असिंचित
29	37	फुलवारी	–	धान असिंचित
30	39	भोथीडीह	धान सिंचित	–
31	41	परसवानी	–	धान असिंचित
32	42	हिरमी	–	धान असिंचित
33	43	भालेसुर	धान सिंचित	–
34	44	मोहरा	धान सिंचित	धान असिंचित
35	45	मोहभट्ठा	धान सिंचित	–
36	46	लावर	धान सिंचित	–
37	47	हथबंद	धान सिंचित	–
38	48	सीतापार	धान सिंचित	–
39	50	नेवधा	धान सिंचित	–
40	52	भैंसा	धान सिंचित	धान असिंचित
41	53	करेली	धान सिंचित	धान असिंचित
42	54	संकरी	धान सिंचित	धान असिंचित
43	55	खिलोरा	धान सिंचित	–
44	57	जांगड़ा	धान सिंचित	–
45	58	मुड़पार	धान सिंचित	–
46	59	भंवरगढ़	धान सिंचित	–
47	60	गोरदी	धान सिंचित	–
48	63	कुकराचुंदा	धान सिंचित	–
49	64	धोंधा	धान सिंचित	–

तहसील – बिलाईगढ़ रा.नि.म. बिलाईगढ़				
क्र.	परिशिष्ट 01 के अनुसार अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	फसल	
1	1	टुण्डरी	–	धान असिंचित
2	2	अमलडीहा	धान सिंचित	–
3	3	मडकर्डी	–	धान असिंचित
4	4	सोनाडुला	धान सिंचित	धान असिंचित
5	5	परसाडीह	धान सिंचित	धान असिंचित
6	6	कैथा	धान सिंचित	धान असिंचित
7	7	पचरी	–	धान असिंचित
8	8	मिरचिद	–	धान असिंचित
9	9	देवराहा	धान सिंचित	धान असिंचित
10	10	नगरदा	–	धान असिंचित
11	11	सोनियाडीह	–	धान असिंचित
12	12	दुम्हानी	धान सिंचित	–
13	13	बेल्हा	–	धान असिंचित
14	14	गोरबा	–	धान असिंचित
15	15	गोविन्दवन	धान सिंचित	धान असिंचित
16	16	बिसनपूर	–	धान असिंचित
17	17	पवनी	–	धान असिंचित
18	18	छिर्रा	धान सिंचित	धान असिंचित
19	19	मल्दी	धान सिंचित	धान असिंचित
20	20	करियाटार	धान सिंचित	धान असिंचित
21	21	करबाडबरी	धान सिंचित	धान असिंचित
22	22	पुरगांव	धान सिंचित	धान असिंचित
23	23	कोरकोटी	धान सिंचित	धान असिंचित
24	24	तौलीडीह	धान सिंचित	–
25	25	लिमतरी	धान सिंचित	धान असिंचित
26	26	भण्डोरा	धान सिंचित	धान असिंचित
27	27	खुरसुला	धान सिंचित	धान असिंचित
28	28	सिंघीटार	–	धान असिंचित
29	29	खजरी	धान सिंचित	धान असिंचित
30	30	बांसउरकुली	धान सिंचित	धान असिंचित
31	31	सुतीउरकुली	धान सिंचित	धान असिंचित
32	32	पण्डरीपानी	–	धान असिंचित
33	33	खैरझिटी	–	धान असिंचित
34	34	छुईहा	–	धान असिंचित
35	35	धनसीर	धान सिंचित	धान असिंचित
36	36	धौराभाठा सु	–	धान असिंचित
37	37	सुरगुली	–	धान असिंचित
38	38	सलिहा	–	धान असिंचित
39	39	परसापाली	–	धान असिंचित
40	40	गारडीह	–	धान असिंचित
41	41	देवरबोड	धान सिंचित	धान असिंचित
42	42	बिलाईगढ	धान सिंचित	धान असिंचित

तहसील – बिलाईगढ़ रा.नि.म. भटगांव				
क्र.	परिशिष्ट 01 के अनुसार अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	फसल	
1	1	पेण्ड्रीपाली	–	धान असिंचित
2	3	बोडा	–	धान असिंचित
3	4	बघमल्ला	–	धान असिंचित
4	5	बेंगपाली	–	धान असिंचित
5	6	तेन्दुदरहा	धान सिंचित	धान असिंचित
6	7	पिरदा	–	धान असिंचित
7	8	गेंडापली	–	धान असिंचित
8	9	खुरदरहा	–	धान असिंचित
9	10	देवसागर	–	धान असिंचित
10	11	टेढीभदरा	–	धान असिंचित
11	12	जमगहन	–	धान असिंचित
12	13	बंदारी	–	धान असिंचित
13	14	धारासीव	–	धान असिंचित
14	15	सिंघीचुवा	–	धान असिंचित
15	16	रिकोटार	–	धान असिंचित
16	17	डोकरीडीह	–	धान असिंचित
17	18	बेलटीकरी	–	धान असिंचित
18	19	डुरूमगढ़	–	धान असिंचित
19	20	सलौनीकला	–	धान असिंचित
20	21	गिरवानी	–	धान असिंचित
21	22	सलिहाघाट	–	धान असिंचित
22	23	चिचोली	–	धान असिंचित
23	24	चिकनीडीह	–	धान असिंचित
24	25	जोरा	–	धान असिंचित
25	26	गदहाभाटा	–	धान असिंचित
26	27	जुनवानी	–	धान असिंचित
27	28	पिपरभवना	–	धान असिंचित
28	29	धनगांव	–	धान असिंचित
29	30	खपरीडीह	–	धान असिंचित
30	31	कोसमकुण्डा	–	धान असिंचित
31	32	बलौदी	–	धान असिंचित
32	33	ओडकाकन	धान सिंचित	–
33	34	बालपुर	–	धान असिंचित
34	35	टिहलीपाली	–	धान असिंचित
35	36	मोहतरा स	–	धान असिंचित
36	37	सरधाभाठा	–	धान असिंचित
37	38	मधाईभाठा	–	धान असिंचित
38	39	चकरदा	–	धान असिंचित
39	40	पेन्डावन	धान सिंचित	धान असिंचित
40	41	कोंट	–	धान असिंचित
41	42	सेन्दुरस	–	धान असिंचित
42	43	झुमका	–	धान असिंचित
43	44	सरसींवां	–	धान असिंचित
44	45	कोदवा	–	धान असिंचित
45	46	तिलाईपाली	–	धान असिंचित
46	47	बम्हनपुरी	–	धान असिंचित
47	48	बिलासपुर	–	धान असिंचित
48	49	मुडपार	–	धान असिंचित
49	50	भिनोदा	–	धान असिंचित
50	51	मुच्छमल्दा	–	धान असिंचित

तहसील – बिलाईगढ़ रा.नि.म. भटगांव				
क्र.	परिशिष्ट 01 के अनुसार अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	फसल	
51	53	धौराभाठा सु	–	धान असिंचित
52	54	घोघरा	–	धान असिंचित
53	55	गिरसा	–	धान असिंचित
54	56	रोहिना	–	धान असिंचित
55	57	दुरूग	धान सिंचित	धान असिंचित
56	58	पिपरभावना	धान सिंचित	धान असिंचित
57	59	गाताडीह	–	धान असिंचित
58	60	मनपसार	–	धान असिंचित
59	61	सोहागपुर	धान सिंचित	धान असिंचित
60	62	धोबनी	धान सिंचित	धान असिंचित
61	63	रायकोना	–	धान असिंचित
62	64	गगोरी	–	धान असिंचित
63	65	टाटा	–	धान असिंचित
64	66	चोरभटठी	–	धान असिंचित
65	67	ढनढनी	–	धान असिंचित
66	68	किसडा	–	धान असिंचित
67	69	अमोदी	–	धान असिंचित
68	70	हरदी	–	धान असिंचित
69	71	भटगांव	धान सिंचित	धान असिंचित
70	72	मोहतरा	–	धान असिंचित
71	73	चारपाली	–	धान असिंचित

तहसील – कसडोल रा.नि.म. कसडोल				
क्र.	परिशिष्ट 01 के अनुसार अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	फसल	
1	1	अवराई	धान सिंचित	धान असिंचित
2	2	खैरा	धान सिंचित	धान असिंचित
3	3	बल्दाकछार	धान सिंचित	धान असिंचित
4	4	अर्जुनी	धान सिंचित	धान असिंचित
5	5	पीपरछेड़ी	धान सिंचित	धान असिंचित
6	6	मुड़ीपार	धान सिंचित	–
7	7	परसदा	धान सिंचित	धान असिंचित
8	8	पुटपुरा	धान सिंचित	धान असिंचित
9	9	बोरसी	धान सिंचित	धान असिंचित
10	10	खुड़मुड़िया	–	धान असिंचित
11	11	टेमरी	धान सिंचित	धान असिंचित
12	12	बगार	धान सिंचित	धान असिंचित
13	13	कोसमसरा	धान सिंचित	–
14	14	बम्हनी	धान सिंचित	–
15	15	असनींद	धान सिंचित	–
16	16	हटौद	धान सिंचित	–
17	17	खर्री	धान सिंचित	धान असिंचित
18	18	कसडोल	धान सिंचित	धान असिंचित
19	19	खर्वे	धान सिंचित	धान असिंचित
20	20	सेमरिया	धान सिंचित	धान असिंचित
21	21	दर्रा	धान सिंचित	धान असिंचित
22	22	कोट	धान सिंचित	धान असिंचित
23	23	छांछी	धान सिंचित	धान असिंचित
24	24	छरछेद	धान सिंचित	धान असिंचित
25	25	चरोदा	धान सिंचित	धान असिंचित

तहसील – कसडोल रा.नि.म. कसडोल				
क्र.	परिशिष्ट 01 के अनुसार अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	फसल	
26	26	देवरीकला	धान सिंचित	–
27	27	मुडियाडीह	धान सिंचित	धान असिंचित
28	28	छेछर	–	धान असिंचित
29	29	सिनोधा	धान सिंचित	–
30	30	मल्दा	धान सिंचित	धान असिंचित
31	31	मडकड़ा	–	धान असिंचित
32	32	मुड़पार	–	धान असिंचित
33	33	झबड़ी	–	धान असिंचित
34	34	सर्वा	धान सिंचित	धान असिंचित
35	35	बैजनाथ	धान सिंचित	धान असिंचित
36	36	कटगी	धान सिंचित	धान असिंचित
37	37	साबर	धान सिंचित	–
38	38	सेल	धान सिंचित	–
39	39	पिसीद	धान सिंचित	–
40	40	आमाखोहा	धान सिंचित	धान असिंचित
41	41	मोतीपुर	धान सिंचित	धान असिंचित
42	42	मोहतरा	धान सिंचित	धान असिंचित
43	43	बिलारी	धान सिंचित	–
44	44	भदरा	धान सिंचित	–
45	45	मिंमौरी	–	धान असिंचित

तहसील – कसडोल, रा.नि.म. गिधौरी				
क्र.	परिशिष्ट 01 के अनुसार अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	फसल	
1	1	कोसमसरा	धान सिंचित	धान असिंचित
2	2	बिलारी	धान सिंचित	धान असिंचित
3	3	दर्रा	–	धान असिंचित
4	4	कोट	–	धान असिंचित
5	5	खैरा	–	धान असिंचित
6	6	मानाकोनी	–	धान असिंचित
7	7	अमोदी	–	धान असिंचित
8	8	डेराडीह	धान सिंचित	धान असिंचित
9	9	धमलपुर	धान सिंचित	–
10	10	हसुवा	धान सिंचित	धान असिंचित
11	11	बरपाली	धान सिंचित	–
12	12	बलौदा	धान सिंचित	धान असिंचित
13	13	गिधौरी	धान सिंचित	–
14	14	घटमड़वा	धान सिंचित	धान असिंचित
15	15	पुलेनी	धान सिंचित	धान असिंचित
16	16	खपराडीह	धान सिंचित	धान असिंचित
17	17	कुम्हारी	धान सिंचित	धान असिंचित
18	18	टुण्डरा	धान सिंचित	धान असिंचित
19	19	कोटियाडीह	धान सिंचित	–
20	20	मोहतरा	धान सिंचित	धान असिंचित
21	21	मड़वा	धान सिंचित	धान असिंचित
22	22	मटिया	धान सिंचित	धान असिंचित
23	23	नवरंगपुर	धान सिंचित	–
24	24	कुरमाझर	धान सिंचित	धान असिंचित
25	25	नगरदा	धान सिंचित	धान असिंचित
26	26	थरगांव	धान सिंचित	–

तहसील – कसडोल, रा.नि.म. गिधौरी				
क्र.	परिशिष्ट 01 के अनुसार अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	फसल	
27	27	चांदन	धान सिंचित	धान असिंचित
28	28	गोलाझर	धान सिंचित	धान असिंचित
29	29	कुशगढ़	धान सिंचित	धान असिंचित
30	30	कुशभाठा	–	धान असिंचित
31	31	अमरूवा	–	धान असिंचित
32	32	छतवन	–	धान असिंचित
33	33	रंगोरा	धान सिंचित	धान असिंचित
34	34	चेचरापाली	धान सिंचित	–
35	35	कुरकुटी	धान सिंचित	धान असिंचित
36	36	बया	धान सिंचित	धान असिंचित
37	38	नरधा	धान सिंचित	धान असिंचित
38	39	बरेली	धान सिंचित	–
39	40	सुकली	–	धान असिंचित
40	41	कौवाताल	–	धान असिंचित
41	42	गिरौद	धान सिंचित	धान असिंचित
42	43	सोनाखान	धान सिंचित	धान असिंचित
43	44	नवागांव	–	धान असिंचित
44	45	राजादेवरी	–	धान असिंचित
45	46	नगेड़ी	–	धान असिंचित
46	47	छाता	धान सिंचित	–
47	49	डुमरपाली	धान सिंचित	–
48	50	रिकोकला	–	धान असिंचित
49	51	बरपानी	–	धान असिंचित
50	52	सोनपुर	धान सिंचित	धान असिंचित
51	58	रवान	–	धान असिंचित
55	59	अर्जुनी	–	धान असिंचित
56	60	महराजी	–	धान असिंचित
57	62	धमलपुरा	धान सिंचित	धान असिंचित
53	64	बड़गांव	–	धान असिंचित
54	68	ढेबीखार	–	धान असिंचित
58	69	मुड़पार	–	धान असिंचित

परिशिष्ट–3

जिला–बेमेतरा

तहसील–साजा, रा.नि.मं.–साजा

क्र.	अधिसूचना के परिशिष्ट–01 में अंकित अनुक्रमांक	पंचायत का नाम	फसल का नाम
1	2	3	4
1	1	भेण्डरवानी	धान असिंचित
2	2	चिल्फी	धान असिंचित
3	4	बरगड़ा	धान असिंचित
4	3	मुसुवाडीह	धान असिंचित
5	6	बोड	धान असिंचित
6	5	डोगीतराई	धान असिंचित
7	8	घोटवानी	धान असिंचित
8	7	केशतरा	धान असिंचित
9	9	गडुवा	धान असिंचित
10	10	महीदही	धान असिंचित
11	12	बीजा	धान असिंचित
12	11	तेन्दुवा	धान असिंचित
13	13	कंदई	धान असिंचित
14	14	रौद्रा	धान असिंचित
15	17	साजा	धान असिंचित
16	32	केंवतरा	धान असिंचित
17	22	भरदा	धान असिंचित
18	23	बीजागोड़	धान असिंचित
19	24	सोमईकला	धान असिंचित
20	15	माटरा	धान असिंचित
21	16	परसबोड	धान असिंचित
22	18	कांचरी	धान असिंचित
23	19	तेन्दुभांठा	धान असिंचित
24	21	मोहतरा	धान असिंचित
25	20	हरडूवा	धान असिंचित
26	25	केहका	धान असिंचित
27	34	बिरनपुर	धान असिंचित
28	28	कोगियाकला	धान असिंचित
29	30	ढाप	धान असिंचित
30	33	बोरतरा	धान असिंचित
31	27	पिपरिया	धान असिंचित
32	29	खैरी	धान असिंचित
33	31	भरदालोधी	धान असिंचित

तहसील–साजा, रा.नि.मं.–देवकर

क्र.	अधिसूचना के परिशिष्ट–01 में अंकित अनुक्रमांक	पंचायत का नाम	फसल का नाम
1	2	3	4
1	6	मौहाभांठा	धान असिंचित
2	7	देउरगांव	धान असिंचित
3	9	अकलवारा	धान असिंचित
4	10	राखी	धान असिंचित
5	11	खुरुसबोड़	धान असिंचित
6	12	बुधवारा	धान असिंचित
7	20	गाडाडीह	धान असिंचित
8	21	हाथीडोब	धान असिंचित
9	22	बुन्देली	धान असिंचित
10	23	लूक	धान असिंचित
11	8	मोहगांव	धान असिंचित
12	1	मासुलगोंदी	धान असिंचित
13	2	नवागांव	धान असिंचित
14	3	पथर्रीखुर्द	धान असिंचित
15	4	कमकावाड़ा	धान असिंचित
16	5	भटगांव	धान असिंचित
17	13	गोडमर्रा	धान असिंचित
18	14	तिरियाभाट	धान असिंचित
19	15	परपोडी(न.पं.)	धान असिंचित
20	16	चेचानमेटा	धान असिंचित
21	17	पतरझोरी	धान असिंचित
22	18	कुरलू	धान असिंचित
23	19	रानों	धान असिंचित

तहसील–साजा, रा.नि.मं.–थानखम्हरिया

क्र.	अधिसूचना के परिशिष्ट–01 में अंकित अनुक्रमांक	पंचायत का नाम	फसल का नाम
1	2	3	4
1	1	ओड़िया	धान असिंचित
2	2	सुखाताल	धान असिंचित
3	3	कन्हेरा	धान असिंचित
4	4	खुरूसबोड़	धान असिंचित
5	5	रमपुरा	धान असिंचित
6	6	कारेसरा	धान असिंचित
7	7	सैगोना	धान असिंचित
8	8	सौंरी	धान असिंचित
9	42	कुरूद	धान असिंचित
10	9	जेवरा	धान असिंचित
11	10	बनरांका	धान असिंचित
12	11	उमरांवनगर	धान असिंचित
13	12	कोपेडबरी	धान असिंचित
14	13	गोपालपुर	धान असिंचित
15	14	टीपनी	धान असिंचित
16	41	न.पंचा.थानखम्हरिया	धान असिंचित
17	15	नवागांवकला	धान असिंचित
18	16	डगनिया	धान असिंचित
19	17	पतोरा	धान असिंचित
20	18	करमू	धान असिंचित
21	19	खपरी	धान असिंचित
22	20	दर्री	धान असिंचित
23	21	हाडाहुली	धान असिंचित
24	22	टेढही	धान असिंचित
25	23	ठेलका	धान असिंचित
26	24	बेलगांव	धान असिंचित
27	25	बेलतरा	धान असिंचित
28	26	चिचगांव	धान असिंचित
29	27	भनोरा	धान असिंचित
30	28	पेन्ड्रीकला	धान असिंचित
31	29	बरगा	धान असिंचित
32	30	श्यामपुरकांपा	धान असिंचित
33	31	हाटरांका	धान असिंचित
34	32	खाती	धान असिंचित
35	33	हथमुड़ी	धान असिंचित
36	35	हरदास	धान असिंचित
37	34	धिवरी	धान असिंचित
38	37	खैरझीटीकला	धान असिंचित
39	38	किरकी	धान असिंचित
40	39	पदमी	धान असिंचित
41	40	पदुमसरा	धान असिंचित

तहसील–बेमेतरा, रा.नि.मं.–खण्डसरा

क्र.	अधिसूचना के परिशिष्ट–01 में अंकित अनुक्रमांक	पंचायत का नाम	फसल का नाम
1	2	3	4
1	1	कठौतिया	धान असिंचित
2	2	मजगांव	धान असिंचित
3	4	नवागांवकला	धान असिंचित
4	5	जंगलपुर	धान असिंचित
5	6	गांगपुर	धान असिंचित
6	8	चरगवां	धान असिंचित
7	9	बैहरसरी	धान असिंचित
8	10	सूखाताल	धान असिंचित
9	11	पंचभैया	धान असिंचित
10	12	करमतरा	धान असिंचित
11	41	लालपुर	धान असिंचित
12	13	दाढ़ी	धान असिंचित
13	14	गिधवा	धान असिंचित
14	15	कोदवा	धान असिंचित
15	42	सनकपाट	धान असिंचित
16	16	जांता	धान असिंचित
17	17	उमरिया	धान असिंचित
18	18	बेरा	धान असिंचित
19	43	बेतर	धान असिंचित
20	19	चिल्फी	धान असिंचित
21	20	बंधी	धान असिंचित
22	21	कुरदा	धान असिंचित
23	22	बटार	धान असिंचित
24	23	भंवरदा	धान असिंचित
25	24	हेमाबंद	धान असिंचित
26	44	रामपुर	धान असिंचित
27	25	सेमरिया	धान असिंचित
28	26	मरतरा	धान असिंचित
29	45	बंशापुर	धान असिंचित
30	27	खण्डसरा	धान असिंचित
31	28	मोहतरा	धान असिंचित
32	46	लावातरा	धान असिंचित
33	29	करचुवा	धान असिंचित
34	30	केंवाछी	धान असिंचित
35	31	झाल	धान असिंचित
36	32	पंडभट्ठा	धान असिंचित
37	33	मरका	धान असिंचित
38	47	झालम	धान असिंचित
39	34	धनगांव	धान असिंचित
40	48	अतरिया	धान असिंचित
41	35	पेण्ड्रीतराई	धान असिंचित
42	36	नरी	धान असिंचित
43	37	मुलमुला	धान असिंचित
44	38	खाम्ही	धान असिंचित
45	39	चन्दनू	धान असिंचित
46	40	बाराडेरा	धान असिंचित

तहसील–बेमेतरा, रा.नि.मं.–बेमेतरा

क्र.	अधिसूचना के परिशिष्ट–01 में अंकित अनुक्रमांक	पंचायत का नाम	फसल का नाम
1	2	3	4
1	1	भनसुली	धान असिंचित
2	2	आन्दू	धान असिंचित
3	3	बालसमुन्द	धान असिंचित
4	4	भैसा	धान असिंचित
5	5	ढारा	धान असिंचित
6	6	छीतापार	धान असिंचित
7	7	बिलई	धान असिंचित
8	8	चारभांठा	धान असिंचित
9	49	ढोलिया	धान असिंचित
10	9	बहेरा	धान असिंचित
11	10	लोलेसरा	धान असिंचित
12	50	बैजी	धान असिंचित
13	51	न.पा.बेमेतरा	धान असिंचित
14	56	सिरवाबांधा	धान असिंचित
15	11	गांगपुर	धान असिंचित
16	12	कंतेली	धान असिंचित
17	13	हथमुड़ी	धान असिंचित
18	14	निनवा	धान असिंचित
19	15	डूडा	धान असिंचित
20	16	रजकुड़ी	धान असिंचित
21	17	बैजलपुर	धान असिंचित
22	18	खिलोरा	धान असिंचित
23	19	फरी	धान असिंचित
24	22	बीजाभाट	धान असिंचित
25	25	मटका	धान असिंचित
26	23	पथर्रा	धान असिंचित
27	24	जौंग	धान असिंचित
28	26	बसनी	धान असिंचित
29	52	ताला	धान असिंचित
30	27	चोरभट्ठी	धान असिंचित
31	28	मोहतराा (बावा)	धान असिंचित
32	29	भोईनाभांठा	धान असिंचित
33	30	पिपरभट्ठा	धान असिंचित
34	31	नवागांव	धान असिंचित
35	32	बहेरा (कुसमी)	धान असिंचित
36	33	जिया	धान असिंचित
37	34	जेवरा	धान असिंचित
38	35	बहिंगा	धान असिंचित
39	36	अर्जुनी	धान असिंचित
40	53	बगौद	धान असिंचित
41	37	खैरझिटी	धान असिंचित
42	42	पौसरी	धान असिंचित
43	38	कुसमी	धान असिंचित
44	39	मुनरबोड़	धान असिंचित
45	40	मोहरेंगा	धान असिंचित
46	41	बाबाधठोली	धान असिंचित
47	43	भोथीडीह	धान असिंचित
48	44	उसलापुर	धान असिंचित
49	45	झिरिया	धान असिंचित
50	46	मुटपुरी	धान असिंचित
51	54	केशतरा	धान असिंचित
52	55	तुमा	धान असिंचित
53	47	मउ	धान असिंचित
54	48	खम्हरिया	धान असिंचित

तहसील–नवागढ़, रा.नि.मं.–नवागढ़

क्र.	अधिसूचना के परिशिष्ट–01 में अंकित अनुक्रमांक	पंचायत का नाम	फसल का नाम
1	2	3	4
1	1	खाम्ही	धान असिंचित
2	3	प्रतापपुर	धान असिंचित
3	5	घोबनीकला	धान असिंचित
4	2	धौराभाठखुर्द	धान असिंचित
5	4	गनिया	धान असिंचित
6	6	ठेंगाभाठ	धान असिंचित
7	7	झांकी	धान असिंचित
8	8	नेवसा	धान असिंचित
9	9	बाघुल	धान असिंचित
10	10	गोपालभैना	धान असिंचित
11	11	भिमपुरी	धान असिंचित
12	12	गांगपुर	धान असिंचित
13	13	हरदी	धान असिंचित
14	15	रनबोड़	धान असिंचित
15	14	घोघरा	धान असिंचित
16	51	मानिकपुर	धान असिंचित
17	16	मोतिमपुर	धान असिंचित
18	17	गाड़ामोर	धान असिंचित
19	19	भैंसामुड़ा	धान असिंचित
20	18	झाल	धान असिंचित
21	21	मोहतरा	धान असिंचित
22	20	बोरतरा	धान असिंचित
23	23	मुरता	धान असिंचित
24	22	हरमुड़ी	धान असिंचित
25	24	नवागढ़	धान असिंचित
26	25	तोरा	धान असिंचित
27	26	बरबसपुर	धान असिंचित
28	27	खपरी	धान असिंचित
29	28	घठोली	धान असिंचित
30	30	नांदल	धान असिंचित
31	29	समेसर	धान असिंचित
32	32	अंधियारखोर	धान असिंचित
33	31	जेवरा एन	धान असिंचित
34	33	कुंवा	धान असिंचित
35	34	बहरबोड़	धान असिंचित
36	35	खैरी	धान असिंचित
37	37	सिवनी	धान असिंचित
38	36	हाथाडांडु	धान असिंचित
39	38	कंवराकांपा	धान असिंचित
40	39	कामता	धान असिंचित
41	40	गोढ़ीकला	धान असिंचित
42	41	धनौरा	धान असिंचित
43	42	जेवरा एस	धान असिंचित
44	43	पेंडरी	धान असिंचित
45	44	रमपुरा	धान असिंचित
46	45	बेलटुकरी	धान असिंचित
47	47	गनियारी	धान असिंचित
48	46	मेड़की	धान असिंचित
49	48	कटई	धान असिंचित
50	49	रूसे	धान असिंचित
51	50	नेउर	धान असिंचित

तहसील–नवागढ़, रा.नि.मं.–मारो

क्र.	अधिसूचना के परिशिष्ट–01 में अंकित अनुक्रमांक	पंचायत का नाम	फसल का नाम
1	2	3	4
1	1	केसला	धान असिंचित
2	2	भदराली	धान असिंचित
3	4	बोरदेही	धान असिंचित
4	3	बदनारा	धान असिंचित
5	6	मेहना	धान असिंचित
6	5	गिधवा	धान असिंचित
7	8	खेड़ा	धान असिंचित
8	7	घोरहा	धान असिंचित
9	11	संबलपुर	धान असिंचित
10	10	अमोरा	धान असिंचित
11	12	मुड़पार	धान असिंचित
12	13	तेंदुवा	धान असिंचित
13	15	पुटपुरा	धान असिंचित
14	9	बुंदेला	धान असिंचित
15	14	बेवरा	धान असिंचित
16	16	परसदा	धान असिंचित
17	17	बिनैका	धान असिंचित
18	18	चकवाय	धान असिंचित
19	19	मारो	धान असिंचित
20	21	भिलौनी	धान असिंचित
21	20	झुलना	धान असिंचित
22	23	गुजेरा	धान असिंचित
23	22	ऐरमसाही	धान असिंचित
24	24	भोपसरा	धान असिंचित
25	26	नारायणपुर	धान असिंचित
26	25	दर्री	धान असिंचित
27	27	अमलडीहा	धान असिंचित
28	28	नवागाव	धान असिंचित
29	29	टेमरी	धान असिंचित
30	30	टोहड़ी	धान असिंचित
31	32	घुरसेना	धान असिंचित
32	31	चिचोली	धान असिंचित
33	35	अकोली	धान असिंचित
34	33	करमसेन	धान असिंचित
35	38	मुर्रा	धान असिंचित
36	36	सेमारिया	धान असिंचित
37	37	इटई	धान असिंचित
38	40	नगधा	धान असिंचित
39	41	मुरकुटा	धान असिंचित
40	39	कूंरा	धान असिंचित
41	42	पौसरी	धान असिंचित
42	44	मल्दा	धान असिंचित
43	43	मगरघटा	धान असिंचित
44	45	तरपोंगी	धान असिंचित
45	34	नांदघाट	धान असिंचित

तहसील–बेरला, रा.नि.मं.–बेरला

क्र.	अधिसूचना के परिशिष्ट–01 में अंकित अनुक्रमांक	पंचायत का नाम	फसल का नाम
1	2	3	4
1	4	देवरबीजा	धान असिंचित
2	1	घोटमर्रा	धान असिंचित
3	3	केशडबरी	धान असिंचित
4	2	सुरुजपुरा	धान असिंचित
5	12	मोहभट्ठा	धान असिंचित
6	11	मनियारी	धान असिंचित
7	42	खम्हरिया (टेमरी)	धान असिंचित
8	13	कोदवा	धान असिंचित
9	14	खिसोरा	धान असिंचित
10	18	परपोड़ा	धान असिंचित
11	16	कुम्हीगुड़ा	धान असिंचित
12	15	चोंगीखपरी	धान असिंचित
13	21	सिंवार	धान असिंचित
14	22	भाठासोरही	धान असिंचित
15	20	भरचट्टी	धान असिंचित
16	25	पतोरा	धान असिंचित
17	26	सिलघट	धान असिंचित
18	31	तारालीम	धान असिंचित
19	19	रेवे	धान असिंचित
20	28	ताकम	धान असिंचित
21	5	भेड़नी	धान असिंचित
22	46	सिंघौरी	धान असिंचित
23	10	सल्धा	धान असिंचित
24	6	सण्डी	धान असिंचित
25	17	डगंनिया (ख)	धान असिंचित
26	9	बहेरघट	धान असिंचित
27	7	बहिंगा	धान असिंचित
28	27	टकसीवा	धान असिंचित
29	29	लावातरा	धान असिंचित
30	23	सोंढ़	धान असिंचित
31	24	हतपान	धान असिंचित
32	45	बेरला	धान असिंचित
33	30	लेंजवारा	धान असिंचित
34	44	भिलौरी	धान असिंचित
35	32	सरदा	धान असिंचित
36	33	भटगांव	धान असिंचित
37	34	बावनलाख	धान असिंचित
38	36	आन्दू	धान असिंचित
39	35	अतरगढ़ी	धान असिंचित
40	38	रांका	धान असिंचित
41	37	कुरूद	धान असिंचित
42	41	कठिया	धान असिंचित
43	39	रवेली	धान असिंचित
44	40	तिवरैया	धान असिंचित
45	43	किरीतपुर	धान असिंचित
46	47	खम्हरिया (टेमरी)	धान असिंचित

तहसील–बेरला, रा.नि.मं.–आनंदगांव

क्र.	अधिसूचना के परिशिष्ट–01 में अंकित अनुक्रमांक	पंचायत का नाम	फसल का नाम
1	2	3	4
1	13	जमघट	धान असिंचित
2	14	बलौंदीकला	धान असिंचित
3	10	चेटुवा	धान असिंचित
4	15	तेलगा	धान असिंचित
5	17	भरदा	धान असिंचित
6	18	मुडपारकला	धान असिंचित
7	12	बारगांव	धान असिंचित
8	11	पाहंदा	धान असिंचित
9	7	देवरी	धान असिंचित
10	9	सिंगदेही	धान असिंचित
11	8	जामगांव	धान असिंचित
12	16	आनंदगांव	धान असिंचित
13	5	खर्रा	धान असिंचित
14	6	कुम्ही	धान असिंचित
15	19	कुसमी	धान असिंचित
16	4	भाड़	धान असिंचित
17	20	बहेरा	धान असिंचित
18	21	बोरिया	धान असिंचित
19	27	देवादा	धान असिंचित
20	26	बांसा	धान असिंचित
21	28	सुरहोली	धान असिंचित
22	29	खुडमुडा	धान असिंचित
23	1	सिलघट	धान असिंचित
24	30	ढाबा	धान असिंचित
25	2	लावातरा	धान असिंचित
26	3	भिंभौरी	धान असिंचित
27	32	अकोली	धान असिंचित
28	34	हसदा	धान असिंचित
29	33	नेवनारा	धान असिंचित
30	25	सांकरा	धान असिंचित
31	22	चण्डी	धान असिंचित
32	24	तिलई	धान असिंचित
33	23	घटियाकला	धान असिंचित
34	35	गोंड़गिरी	धान असिंचित
35	36	खमतराई	धान असिंचित
36	37	गाड़ामोर	धान असिंचित
37	38	खंगारपाट	धान असिंचित
38	42	पिरदा	धान असिंचित
39	41	उफरा	धान असिंचित
40	43	हरदी	धान असिंचित
41	31	खुड़मुड़ी	धान असिंचित
42	45	कंडरका	धान असिंचित
43	47	भालेसर	धान असिंचित
44	44	बोरसी	धान असिंचित
45	46	बेरलाकला	धान असिंचित
46	40	गुधेली	धान असिंचित
47	39	कोहड़िया	धान असिंचित

नया रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2017

क्रमांक/8645/एफ-8/89/PMFBY/2016/14-2.—भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015/03/2016 Credit II नई दिल्ली, दिनांक 23.02.2016 द्वारा दिये गये प्रशासनिक अनुमोदन एवं योजना क्रियान्वयन के जारी दिशा-निर्देशों के प्रकाश में सक्षम अनुमोदन उपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा रबी मौसम 2017-18 में प्रदेश के समस्त 27 जिलों में "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" लागू करती है. योजनांतर्गत विवरण निम्नानुसार है :—

1. अधिसूचित फसले एवं बीमा ईकाई :—

	फसल	बीमा इकाई
मुख्य फसल	चना	ग्राम पंचायत
अन्य फसल	गेहूं सिंचिंत, गेहूं असिंचित, राई-सरसों, अलसी, तिवड़ा, आलू	ग्राम पंचायत

2. **अधिसूचित क्षेत्र :—** प्रदेश के सभी 27 जिलें मं योजना क्रियान्वित की जायेगी. अधिसूचित जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल, ग्राम पंचायत एवं इन क्षेत्रों में अधिसूचित फसल का विवरण परिशिष्ट-1 में है.

3. **शामिल किये जाने वाले कृषक :—** इस योजना में त्रणी कृषक (भूधारक व बटाईदार) तथा गैर ऋणी कृषक (भूधारक व बटाईदार) भाग ले सकते है.

   (क) **अनिवार्य आधार पर :**—ऐसे सभी कृषक जिनका रबी वर्ष 2017-18 हेतु अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण की सीमा, कृषकों के बीमा आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि या उसके पूर्व स्वीकृत/नवीनीकृत की गई हो. एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिूसचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही वित्तीय संस्थान से बीमा करवाना होगा.

   (ख) **स्वैच्छिक आधार पर :**—अधिसूचित फसल लगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो इस योजना में शामिल होने का इच्छुक हो, वे अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है.

4. **योजना क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कम्पनी :—** रबी 2016-17 में निविदा के आधार पर चयनित बीमा कंपनियों द्वारा निविदा में उल्लेखित दरों पर ही रबी वर्ष 2017-18 में अधिसूचित क्षेत्रों में फसल बीमा का कार्य संपादन किया जायेगा.

कलस्टरवार बीमा कंपनियों को आवंटित जिलों की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	कलस्टर संख्या	जिला	क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कंपनी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1	मुंगेली, कबीरधाम, बालोद, कोरिया, बलरामपुर कांकेर, रायपुर, बस्तर, महासमुंद	एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड.
2.	2	बेमेतरा, बलौदाबाजार, जशपुर, बीजापुर, कोरबा, नारायणपुर, जांजगीर, गरियाबंद, दंतेवाड़ा.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड.
3.	3	बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, सरगुजा, सुकमा, सुरजपूर, धमतरी, कोण्डागांव, रायगढ़.	बजाज एलायन्ज जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड.

8. **जोखिमों की आच्छादन एवं अपवर्जन :—**

(i) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मार्गदर्शिका में वर्णित सभी प्रकार के जोखिमों, जो निम्नानुसार है, हेतु बीमा आवरण उपलब्ध होगा :—

(क) **बाधित रोपाई/रोपण जोखिम :**—बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बोआई/रोपण क्रिया न होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा.

(ख) **खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक) :**—गैर बाधित जोखिमों तथा सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलप्लावन, कीट एवं व्याधि, भू-स्खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं और आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात आंधी, समुद्री तूफान, भंवन और बवंडर के कारण फसल को होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिये वृहत जोखित बीमा दिया जायेगा.

(ग) **फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान :**—यह बीमा आच्छादन ऐसी अधिसूचित फसलों के कटाई उपरांत अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) के लिये चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं बेमौसमी वर्षा के मामले में दिया जायेगा, जिन्हें फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिये छोड़ा गया है.

(घ) **स्थानीयकृत आपदाएं :**—अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषक भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, भू-स्खलन और जलभराव के अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा.

(ii) **सामान्य अपवर्जन :**—युद्ध नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानियों, दुर्भावना-जनित क्षतिओं और अन्य निवारणीय जोखिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया है.

6. **बीमित राशि :**— ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि प्रत्येक जिले में अधिसूचित फसलों हेतु निर्धारित प्रति हेक्टेयर ऋणमान बीमा (Scale of Finance) के बराबर (परिशिष्ट-2) मान्य होगी.

ऋण प्रदाय करने वाली संस्था ऋणी कृषक को "बीमा प्रीमियम राशि" अतिरिक्त ऋण के रूप में प्रदान करेगी.

7. **प्रीमियम की गणना एवं अनुदान :**— फसल चना, गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, राई-सरसी, तिवड़ा हेतु कृषक द्वारा अधिकतम देय प्रीमियम बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम जो भी कम हो तथा फसल आलू के लिये बीमित राशि का अधिकतम 5.0% अथवा वास्तविक प्रीमियम, जो भी कम हो, वहन किया जायेगा. शेष प्रीमियम की राशि 50-50% के अनुपात में क्रमशः केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में देय होगी. क्लस्टरवार/जिलेवार/फसलवार प्रीमियम राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर है.

8. **क्षति स्तर एवं थ्रेसहोल्ड उपज :—** राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार चना फसल में 90% तथा गेहूं सिंचित, गेहूं, असिंचित, राई-सरसों, अलसी, तिवड़ा, आलू, फसल हेतु 80% क्षति स्तर का निर्धारण किया गया है.

जिलेवार/फसलवार क्षति स्तर पर थेसहोल्ड उपज की जानकारी परिशिष्ट-3 पर है. जिलेवार/फसलवार थ्रेसहोल्ड उपज का निर्धारण ग्राम पंचायतवार किया गया है. यदि किसी समय पंचायत में थ्रेसहोल्ड उपज की जानकारी दर्ज ना हो, तो उक्त ग्राम पंचायत के निकटतम ग्राम पंचायत के उपज के आंकड़े उपयोग किये जावेंगे एवं निकटतम ग्राम पंचातय के उपज आंकड़े उपलब्ध ना हो, तो उपरी इकाई के उपज आंकड़ा मान्य होगा.

9. **विभिन्न गतिविधियों हेतु समय-सीमा का निर्धारण :—**

क्र. सं. (1)	गतिविधि (2)	समय-सीमा (3)
1.	फसल बीमा पोर्टल पर सभी अपेक्षित सूचना/डाटा की प्रविष्टि	अधिसूचना जारी होने के एक सप्ताह के भीतर
2.	त्रणी कृषकों के लिए अनिवार्य आधार पर बीमा आच्छादन हेतु ऋण की अवधि (संस्वीकृत/नवीनीकृत ऋण).	रबी 2017-18 हेतु 31 दिसम्बर या उसके पूर्व स्वीकृत/नवीनीकृत ऋण.
3.	कृषकों (ऋणी एवं अऋणी) से बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने/खाते से प्रीमियम राशि प्राप्ति की अंतिम तिथि.	31 दिसंबर

(1)	(2)	(3)
4.	पैक्स हेतु जिला सहकारी बैंक, बैंक शाखाओं (सीबी/आरआरबी), ऋणी एवं अऋणी कृषकों की समेकित घोषणाओं/प्रस्तावों का बीमा कंपनियों को प्राप्त होने के अंतिम तिथि.	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ऋणी कृषकों के के लिए 15 दिन के अंदर और अऋणी कृषकों के लिए 7 दिन के अंदर.
5.	नामित बीमा एजेन्टों/मध्यस्थों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर बीमित किए गए किसानों के घोषणा पत्र बीमा कंपनियों को प्राप्त होने की अंतिम तिथि.	घोषणा/प्रीमियम प्राप्ति के 7 दिन के भीतर
6.	संबंधित डीसीसीबी/नोडल बैंकों (सहकारी संस्थाओं के लिए) द्वारा अऋणी एवं ऋणी कृषकों के प्रस्तावों को बीमा कंपनी को प्रेषित करने की अंतिम तिथि.	संबंधित नोडल बैंक कार्यालयों द्वारा घोषणाओं की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर.
7.	वाणिज्यिक बैंकों/आरआरबी/पैक्स/मध्यस्थों द्वारा वैयक्तिक बीमाकृत कृषकों के ब्यौरों को फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करना.	कृषकों से प्रीमियम प्राप्ति की अंतिम तिथि से 15 दिनों के के भीतर.
8.	अग्रिम राज्यांश राशि के भुगतान हेतु चयनित बीमा कंपनी द्वारा संचालक कृषि को बीमा आवरण के आंकड़े सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि.	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से एक माह के भीतर
9.	बीमा कंपनी द्वारा बीमा आवरण के अंतिम आंकड़े (जिलावार वर्गवार एवं फसलवार) प्रदाय करने की अंतिम तिथि.	31 जनवरी
10.	भू-अभिलेख द्वारा फसल कटाई प्रयोग हेतु रेण्डर नंबर के आधार पर चयनित कृषक की जानकारी बीमा कंपनी को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि.	जनवरी के प्रथम सप्ताह के भीतर
11.	आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा अधिसूचित फसलों के बीमा इकाई-वार क्षेत्राच्छादन का जानकारी बीमा कंपनी को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि.	बुआई अवधि से लेकर 2 माह के भीतर
12.	फसल कटाई के बाद बीमा कंपनी को उत्पादन आंकड़े प्रदाय करने की अंतिम तिथि.	संबंधित फसल की निर्धारित अंतिम फसल कटाई तिथि से 1 माह के भीतर.
13.	उपज आंकड़ों पर आधारित अंतिम बीमा दावा का संसाधन, अनुमोदन और भुगतान.	उपज संबंधी आंकड़े प्राप्त करने की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर.

टीप :— उपरोक्त समय-सीमा/प्रक्रियाओं/कार्यवाहियों का पालन करने में वित्तीय संस्थाओं/बैंक/बैंको द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा अंतिम तिथि के उपरांत बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित संस्था की होगी एवं प्रभावित कृषक/कृषकों को योजनांतर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति के भुगतान की जिम्मेदारी होगी.

10. वित्तीय संस्थाएँ समस्त ऋणी तथा अऋणी आच्छादित कृषकों की सूची जिसमें-कृषक का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम, ग्राम पंचायत, तहसील, जिला, बैंक खाता संख्या, कृषक श्रेणी-लघु एवं सीमांत/अन्य, महिला/पुरुष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य, आच्छादित रकबा, बीमित राशि एवं कृषक द्वारा देय प्रीमियम का विवरण निश्चित प्रपत्र में घोषणा पत्र के साथ बीमा कम्पनी को हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में उपलब्ध करायेगी तथा कृषकवार विवरण फसल बीमा पोर्टल पर बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से 15 दिनों के अंदर अपलोड करेंगी. साथ ही राज्य सरकार, बीमा कार्यान्वयक अभिकरण/बैंक सभी जानकारियों एवं आंकड़ों को www.agri.insurance.gov.in में निर्धारित समय सीमा पर इन्द्राज करेगी.

11. **बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र :—** सभी संबंधित सहकारी बैंकों/वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र की दो प्रति तैयार कर एक प्रति बीमा कंपनी को तथा एक प्रति संबंधित कृषक को अनिवार्य रूप से प्रदान करेंगे.

12. **दावा गणना :—** दावा गणना आयुक्त, भू-अभिलेख, छ.ग. द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिए निर्धारित अनिवार्य संख्या में किये गये फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त औसत उपज के आंकड़ों से की जायेगी. शासन या अन्य संस्थाओं द्वारा अनावारी, सूखा, बाढ़ अकाल घोषित होने पर दावा देय नहीं है. बीमा इकाई में मुख्य अधिसूचित फसल हेतु 04 एवं अन्य फसलों हेतु 08 फसल कटाई प्रयोग किये जाने होंगे. राज्य शासन को यह अधिकार रहेगा कि विभिन्न कारणों से निर्धारित समय-सीमा से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित मुख्य अथवा अन्य फसलों के निर्धारित फसल कटाई प्रयोग संपादित कराये जाना संभव नहीं हो सके तो अधिसूचित इकाई से उच्चतर इकाई (पटवारी हल्का/राजस्व निरीक्षक मंडल) में योजना प्रावधान अनुसार निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग संपादित कराये जा सकेंगे अथवा उच्चतर इकाई के औसत उपज आंकड़े दावा गणना हेतु मान्य होंगे.

13. **क्षति का मूल्यांकन/निर्धारण/भुगतान की प्रक्रिया :—** योजना के प्रावधानों के अनुसार फसल की क्षति का मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :—

(क) **बुआई नहीं हो पाने/निष्फल होने/रोपण बाधित होने की स्थिति में :—** यह आवरण केवल मुख्य फसल चना के लिए ही लागू होगा. फसल बोआई अवधि के दौरान अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि एवं अन्य विपरित मौसम के कारण अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित मुख्य फसल चना की 75% से अधिक बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति में बीमित राशि का अधिकतम 25% तक क्षतिपूर्ति के रूप में कृषकों को भुगतान किया जा सकेगा. इस घटक के अंतर्गत फसल चना की बुआई की अंतिम समय-सीमा 15 दिसंबर होगी.

उपरोक्त समयावधि में यदि किसी अधिसूचित बीमा इकाई में अधिसूचित प्रमुख फसल के बोवाई किये जाने वाले क्षेत्रफल में से 75% से अधिक क्षेत्रफल में बोवाई नहीं होती है ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़े तथा प्रदेश में फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु नोडल एजेंसी राजस्व विभाग (भू-अभिलेख) के आंकड़ों को आधार माना जायेगा. इस घटक के अंतर्गत दावा भुगतान के पात्र वे कृषक ही होंगे जिनके प्रीमियम आपदा क्षेत्र निर्धारण संबंधी शासन द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना से पूर्व जमा कर लिये गये हो अथवा उन्हें स्वीकृत ऋण से काट लिये गये हो. राज्य शासन द्वारा एसे प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना जारी की जायेगी जिसके आधार पर अधिसूचित क्षेत्र के बीमित कृषकों को अधिकतम 25% तक दावा भुगतान किया जावेगा. इस खण्ड के अधीन क्षतिपूर्ति देय होने के पश्चात बीमा आच्छादन को समाप्त माना जावेगा और प्रभावित बीमा इकाई/फसल मौसम के अंत में क्षेत्र उपज अधारित संगणित दावों के पात्र नहीं होंगे और न ही इन क्षेत्रों में प्रभावित अधिसूचित फसलों के लिये कोई नया पंजीयन किया जावेगा.

(ख) **मौसम प्रतिकूलताओं के कारण फसल की मध्यावधि (बुआई से कटाई की समयावधि) में नुकसान होने की स्थिति में :—**फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलप्लावन, कीट एवं व्याधि-भू स्खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं एंव आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर एवं बवंडर के कारण प्रभावित फसल की अनुमानित उपज, थ्रेसहोल्ड उपज से 50% से कम आना संभावित हो तो संभावित क्षति- पूर्ति का 25% तक दावा का भुगतान रबी मौसम के दौरान ही किया जा सकता है. यह क्षतिपूर्ति भुगतान की राशि अंतिम उपज आधारित क्षतिपूर्ति राशि के साथ समायोजित की जायेगी. यदि उक्त स्थिति अधिसूचना की परिशिष्ट-4 में फसलवार उल्लेखित सामान्य फसल कटाई प्रारंभ होने के 15 दिनों के पूर्व होती है तो उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी. इस तरह की क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़े, सैटेलाईट इमेज एंव जिला कृषि/राजस्व पदाधिकारी द्वारा प्रेषित फसल अवस्था आंकड़े को आधार माना जाएगा. इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों के विवरणों पर भी विचार किया जावेगा. इस घटक के अंतर्गत दावा भुगतान के पात्र वे कृषक ही होंगे जिनके प्रीमियम आपदा क्षेत्र निर्धारण संबंधी शासन द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना से पूर्व जमा कर लिये गये हो अथवा उनके स्वीकृत ऋण से काट लिये गये हो. राज्य शासन द्वारा प्रतिकूल मौसमीय आपदा घटित होने के 07 दिवस के भीतर प्रभावित ईकाईयों की सूची एवं विवरण तथा इन्हें इस घटक के अंतर्गत पात्रता होने संबंधी आदेश पारित किया जायेगा तथा संयुक्त समिति द्वारा प्रतिकूल मौसमीय आपदा घटित होने के 15 दिवस के भीतर क्षति का आंकलन कर प्रतिवेदन दिया जायेगा जिसके आधार पर बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति देय होगी.

(ग) **स्थानीय आपदाओं की स्थिति में :—**स्थानीय जोखिम यथा—ओलावृष्टि, भूस्खलन एवं जलप्लावन से अधिसूचित फसल में नुकसान होने की स्थिति में व्यक्तिगत बीमित कृषक को क्षति पूर्ति दिये जाने का प्रावधान है. यदि किसी प्रभावित इकाई में 25% से ज्यादा हानि होती है तो संयुक्त समिति द्वारा सैम्पल जांच कर उस इकाई में सभी बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति देय होगी. कृषक इसकी सूचना क्रियान्यवन बीमा कंपनी को सीधे टोल फ्री नंबर पर या लिखित रूप से अथवा स्थानीय राजस्व/

कृषि अधिकारियों, संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी/अनुविभागीय दंडाधिकारी/तहसीलदार को लिखित रूप से निर्धारित समय-सीमा 48 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे.

हानि संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयन बीमा कंपनी फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक (Loss Assessor) को भेजेगी तथा मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति निर्धारित किया जाएगा. जिला विकासखण्ड स्तरीय कृषि/राजस्व विभाग के अधिकारी फसल क्षति का अनुमान लगाने में क्रियान्वयक बीमा कंपनी को उपयुक्त सहायता करेंगे. इस घटक के अंतर्गत अधिकतम देय सहायता बीमित राशि के अध्यधीन प्रभावित क्षेत्र में आपदा घटित होने तक फसल की लागत के अनुपात में होगी. यदि फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर अधिसूचित क्षेत्र में दावा भुगतान स्थानीय क्षति-पूर्ति से अधिक निर्धारित होता है, तो दोनों में से जो भी दावा अधिक होगा, बीमित कृषक को देय होगा.

(घ) **फसल कटाई के उपरांत खेत में सूखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में :**—फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई अधिसूचित फसल को प्राकृतिक आपदा यथा चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम वर्षा से 25% से अधिक अधिसूचित क्षेत्र में फसलों को क्षति होती है तो ऐसी अवस्था में सेम्पल जांचकर सभी बीमित कृषकों को क्षति का भुगतान किया जावेगा. यदि 25% से कम अधिसूचित क्षेत्र में हानि होती है तो उन सभी प्रभावित बीमित कृषकों के नुकसान की जांच कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति के पात्र घोषित की जायेगी जो कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयन बीमा कंपनी को सीधे/टोल फ्री नंबर या लिखित रूप में अथवा स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियों/संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी/अनुविभागीय दंडाधिकारी/तहसीलदार को निर्धारित समय-सीमा 48 घंटे के भीतर लिखित रूप में बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे. इस व्यवस्था के अंतर्गत क्राप कैलेण्डर (परिशिष्ट-4) में अंकित फसल कटाई की निर्धारित अंतिम तिथि से यदि कटी हुई अधिूसचित फसल, अधिकतम 14 दिनों तक सूखने के लिए फैलाकर रखी जाती है तो इसी अवधि तक के लिए ही उपरोक्त वर्णित कारणों से होने वाली क्षति का आंकलन किया जाएगा.

फसल क्षति संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयन बीमा कंपनी क्षति का आंकलन के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक (Loss Assessor) को भेजेगी तथा मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति निर्धारित किया जाएगा. विकासखंड/जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति एवं संयुक्त समिति के सदस्यों एवं कृषक फसल क्षति का अनुमान लगाने में क्रियान्वयन बीमा कंपनी की उपयुक्त सहायता करेंगे. सांकेतिक सूचनाओं स्थानीय मिडिया रिपोर्टों, कृषि/राजस्व विभाग के रिपोर्टों को क्षति का आंकलन का आधार बनाया जाएगा.

(ङ) **फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में :**—राज्य शासन फसल उत्पादन आंकलन के लिए अधिसूचित बीमा इकाई में प्रमुख फसल चना के लिए 04 प्रयोग तथा अन्य फसलों में 08 फसल कटाई प्रयोग भारत सरकार के मोबाईल एप "CCE Agri App" के माध्यम से संपादित करेगी. इस फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर क्षति की गणना की जायेगी.

$$\text{देय क्षतिपूति} = \frac{\text{थ्रेसहोल्ड उपज} - \text{वास्तविक उपज}}{\text{थ्रेसहोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

छ.ग. शासन या अन्य संस्थाओं द्वारा अन्य प्रयोजन हेतु किये जा रहे फसल कटाई प्रयोग के परिणाम (अनावरी, सूखाग्रस्त घोषित करने, आदि के उद्देश्य से पृथक से क्रियान्वित किये जाने वाले फसल कटाई प्रयोग) इस योजनान्तर्गत दावा भुगतान की गणना में मान्य नहीं होंगे. यथा संभव इसी योजना के अंतर्गत संपादित कराये जाने वाले फसल कटाई प्रयोग की श्रृंखला का ही उपयोग फसल बीमा की गणना के साथ ही फसल उत्पादकता के आंकड़े प्राप्त करने में भी किया जायेगा.

14. **योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति आंकलन हेतु संयुक्त समिति का गठन :**—योजनाअनुसार फसल मध्यावधि में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण, स्थानीय आपदाओं की स्थिति में क्षति का निर्धारण एवं फसल कटाई के उपरांत खेत में सूखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में क्षति आंकलन हेतु शासन द्वारा खरीफ 2016 में योजनांतर्गत गठित जिला एवं तहसील स्तरीय संयुक्त समिति ही अधिकृत होगी.

15. **मौसम केन्द्रों की जानकारी :—** राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश के तहसील/विकासखंडों में वर्षामापी यंत्र स्थापित है जिसके दैनिक वर्षा के आंकड़े नियमित प्राप्त होते है. योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु इन आंकड़ो को मान्य किया जाना है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वर्षामापी यंत्र बंद या खराब होने की स्थिति में जिले में केन्द्रीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा स्थापित वर्षामापी यंत्र के आंकड़े स्वीकार किये जायेगें.

16. **बीमित फसल में परिवर्तन/बदलाव का विकल्प :—**कृषक द्वारा अधिसूचित फसल के लिए ऐच्छिक आधार पर लिये गये बीमा आवरण में फसल के नाम बदलाव की ईच्छा होने पर ऐसा किया जा सकता है, किन्तु ऐसा ऋणी एवं अऋणी कृषकों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि के 30 दिवस पूर्व अर्थात 01 दिसम्बर 2017 तक ही संबंधित वित्तीय संस्था/अधिकृत बीमाकर्त्ता (जैसी भी स्थिति हो) के माध्यम से बीमा कंपनी को लिखित रूप में तथा बोनी प्रमाण पत्र (जो बीमा इकाई स्तर पर अधिकृत राजस्व कर्मचारी (राजस्व पटवारी) अथवा इससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा अन्य फसल की बोनी करने संबंधी जारी प्रमाण पत्र हो) के साथ उपलब्ध कराने पर ही मान्य होगा. यह विकल्प केवल उन्हीं कृषकों को होगा, जिन्होंने फसल बीमा हेतु प्रीमियम राशि जमा कर दी है.

ऋणी कृषक भी फसल परिवर्तन कर सकते है तथा उन्हें इस संबंध में संबंधित बैंक को प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि के 30 दिवस पूर्व अर्थात 01 दिसम्बर 2017 तक लिखित में सूचित करना होगा, ताकि उसके बीमा प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन किया जा सके. किन्तु गैर अधिसूचित फसल को यदि अधिसूचित फसल में परिवर्तित करना चाहते है, तो ऐच्छिक आधार पर बीमा कराने वाले कृषकों के अनुरूप बीमा इकाई से संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा दूसरी फसल बोनी करने संबंधी प्रमाण-पत्र बैंकों को आवश्यक संशोधन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसके लिये समय-सीमा उपरोक्तानुसार ही होगी.

17. बीमा कंपनी तथा संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा देय दावा भुगतान का कृषकों के खाते में समायोजन की समय-सीमा :—

(क) **बुआई नहीं हो पाने/बुवाई विफल होने की स्थिति में :—**क्रियान्वयक बीमा कंपनी को केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रीमियम अंश प्राप्त होने की स्थिति में, राज्य शासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी अधिसूचना/आदेश पारित होने की तिथि के 30 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में जमा कराई जाएगी.

(ख) **फसल मध्यावधि में नुकसान होने की स्थिति में :—**क्रियान्वयक बीमा कंपनी को केन्द्र एवं राज्य शासन से प्रीमियम अनुदान प्राप्त होने की स्थिति में, राज्य शासन द्वारा आपदा क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी पारित आदेश के 01 माह के भीतर कृषकों के खाते में समायोजित की जायेगी.

(ग) **स्थानीय आपदाओं के मामले में :—**संयुक्त समिति जिसमें बीमा कंपनी के हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो द्वारा क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में अंतरित की जायेगी (केन्द्र एवं राज्य शासन से प्रीमियम अंश प्राप्त होने की स्थिति में).

(घ) **फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में :—**संयुक्त समिति जिसमें बीमा कंपनी के हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो द्वारा क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में समायोजित की जावेगी (केन्द्र एवं राज्य शासन से प्रीमियम अंश प्राप्त होने की स्थिति में).

(ङ) **फसल उत्पादन के आधार पर व्यापक क्षतिपूर्ति :—**बीमा कंपनी द्वारा संबंधित फसल के उपज आंकड़े प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर देय दावा भुगतान की राशि संबंधित वित्तीय संस्था को प्रदान की जावेगी तथा वित्तीय संस्था द्वारा एक सप्ताह के अंदर धनराशि पात्र कृषकों के खाते में समायोजित कर 15 दिन के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित बीमा कंपनी को प्रस्तुत करेगी.

18. **क्रियान्वयन बीमा कंपनी द्वारा हानि निर्धारकों (Loss Assessor) की नियुक्ति :—**चयनित बीमा कंपनी द्वारा योजना क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विभिन्न क्षति जिनका विवरण बिन्दु क्रमांक-13 एवं 17 में दिया गया है, हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले क्षति निर्धारकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से की जायेगी तथा इसकी सूचना राज्य शासन को दी जायेगी.

19. **बैंक कमीशन एवं शुल्क :—**क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा करने के लिए योजनांतर्गत निर्धारित दर कृषकों से प्राप्त प्रीमियम का 4 प्रतिशत रबी मौसम समाप्ति के पश्चात् प्रदान किया जावेगा.

20. बीमा कंपनी द्वारा बैंकों से प्राप्त सभी घोषणा पत्र/प्रीमियम राशि की पावती संबंधित बैंक शाखाओं को उपलब्ध कराई जाएगी एवं किसी भी त्रुटि/अंतर/विसंगति अवलोकित होने पर इसकी सूचना संबंधित बैंक को तत्काल दिया जाएगा. बीमा कंपनी द्वारा वित्तीय संस्था से उक्त विसंगतियों के निराकरण हेतु दस्तावेज/जानकारी अधिकतम 25 जनवरी तक ही स्वीकार किये जायेंगे. यदि वित्तीय संस्था द्वारा नियत समय-सीमा में जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो बीमा कंपनी द्वारा संबंधित प्रीमियम राशि तीन सप्ताह के भीतर बैंकों को अनिवार्य रूप से वापस किया जाना होगा, अन्यथा कृषकों को नियमानुसार दावा प्रतिपूर्ति का सम्पूर्ण दायित्व बीमा कंपनी की होगी.

21. भारत सरकार द्वारा योजना क्रियान्वयन की जारी दिशा-निर्देश, इनमें विभिन्न कार्यों हेतु अंकित समय-सीमा, कार्य की पद्धति, ऑनलाईन की जाने वाली जानकारियों को अपलोड किये जाने का दायित्व क्रियान्वयन बीमा कंपनी, वित्तीय संस्था एवं संचालनालय कृषि का होगा तथा इस हेतु पृथक से आदेश जारी नहीं किये जायेंगे.

22. योजनांतर्गत गठित जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा इस योजना के संचालन की प्रति माह समीक्षा कर प्रगति प्रतिवेदन संचालक कृषि को उपलब्ध कराया जायेगा.

23. क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा आवंटित जिलों के प्रत्येक तहसील पर क्रियाशील कार्यालय स्थापित किया जावेगा तथा प्रत्येक विकासखण्ड में एक एजेंट नियुक्त किया जावेगा. इसकी विधिवत सूचना सभी संबंधित संस्था/विभाग को दिया जावेगा.

24. क्रियान्वयक अभिकरण द्वारा पूर्ण परीक्षण उपरांत राज्यांश राशि की मांग हेतु प्रस्ताव संचालक कृषि को प्रस्तुत किया जावेगा एंव राज्यांश की मांग के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा कि प्रस्तुत की जा रही मांग संबंधित मौसम में अधिसूचित क्षेत्र में फसल के लिए निर्धारित प्रीमियम दर पर प्रस्तुत की जा रही है. बीमा कंपनी से प्राप्त प्रस्ताव को संचालनालय कृषि स्तर पर विस्तृत परीक्षण उपरांत राज्यांश राशि के भुगतान हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा.

25. क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा अंतिम उपज के आधार पर प्रस्तावित बीमा दावा के गणना की जानकारी संचालनालय कृषि, छ.ग. को प्रस्तुत करने के उपरांत बीमा कंपनी को प्रीमियम अनुदान (राज्यांश) की अंतिम किस्त का भुगतान किया जावेगा.

26. अधिसूचित फसलों हेतु अधिसूचित बीमा इकाई में योजनांतर्गत फसल क्षति आंकलन के लिए आयुक्त भू-अभिलेख, (नोडल कार्यालय, फसल कटाई प्रयोग) द्वारा शत्-प्रतिशत फसल कटाई प्रयोग का आयोजन मोबाईल एप (CCE Agri App) के माध्यम से सुनिश्चित की जावेगी.

27. भारत सरकार स्तर से क्रियान्वयन अभिकरण को De-Empanelled किया जाता है अथवा फसल बीमा योजना के प्रावधानों में संशोधन किये जाते है, तो तद्नुसार क्रियान्वयन अभिकरण के निर्धारित दायित्व एवं अधिसूचना को संशोधित/निरस्त किया जा सकता है.

28. **यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम (UPIS)**—भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार यूनिफाईड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम (UPIS) के पायलट आधार पर क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के राजनांदगांव एवं बस्तर जिलों का चयन किया गया है. इस योजना का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में चयनित बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बस्तर जिला में (जो क्लस्टर 1 में एल-1 है) एवं बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा राजनांदगांव जिला में (जो कलस्टर 3 में एल-1 है) किया जाएगा.

UPIS अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का चयन अनिवार्य है. कृषकों को शेष प्रयोजनों में से कम से कम किन्हीं दो प्रयोजनों का चयन करना होगा एवं इसका चयन नहीं करने पर किसान को घोषणा-पत्र द्वारा यह सूचित करना होगा कि उसके द्वारा पूर्व से किसी अन्य बीमा एजेंसी से यह लाभ लिया जा रहा है. योजना अंतर्गत फसल बीमा के अलावा शेष सभी प्रयोजनों में कवरेज एक साल के लिये माना जावेगा.

(UPIS) अंतर्गत सम्मिलित प्रयोजनों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	प्रयोजन (2)	बीमित राशि (रु.) (3)	प्रीमियम राशि (4)
1.	(अ) भवन (आगजनी तथा संबंधित जोखिम)	50,000	रु. 40/- (जी.एस.टी. अतिरिक्त)
	(ब) वस्तु बीमा	20,000	रु. 20/- (जी.एस.टी. अतिरिक्त)

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा	2,00,000	रु. 12/- प्रति व्यक्ति
3.	कृषि पंप सेट बीमा (10 हार्स पॉवर तक)	25,000	रु. 438/- (जी.एस.टी. अतिरिक्त)
4.	कृषि ट्रैक्टर बीमा	ट्रेक्टर के बीमित राशि एवं प्रीमियम राशि का निर्धारण IRDIA द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर ट्रेक्टर की उम्र एवं इसके साथ ट्राली होने अथवा नहीं होने को ध्यान में रखते हुये किया जावेगा तथा इस संबंध में संपूर्ण विवरण बीमाकर्त्ता कंपनी के द्वारा कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा.	
5.	**विद्यार्थी सुरक्षा बीमा—**		
	(अ) दुर्घटना से मृत्यु	50,000	
	(ब) पूर्ण दिव्यांगता	50,000	रु. 75/- प्रति विद्यार्थी
	(स) एक आंख एवं कान क्षतिग्रस्त होने पर	25,000	(जी.एस.टी. अतिरिक्त)
	(द) दुर्घटना से अस्पताल में भर्ती होने पर	5,000	
6.	जीवन बीमा	2,00,000	रु. 330/- प्रति व्यक्ति (जी.एस.टी. अतिरिक्त)

29. इस अधिसूचना में जिन नियमों का उल्लेख नहीं है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना/यूनिफाईड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम (UPIS) की मार्गदर्शिका में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सभी के लिए बंधनकारी होगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश व इसमें उल्लेखित सर्वोच्च संस्थाओं का निर्णय सर्वमान्य होगा.

30. यह अधिसूचना दिनांक 01-10-2017 से प्रभावी मानी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2017

संशोधित

क्रमांक एफ 10-5/2016/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत असंगठित कर्मकारों के लिये संचालित मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना के संबंध में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-12-2016 के बिन्दु (ब) योजना की पात्रता के उपबिन्दु (iv) आरटीओ से व्यावसायिक वाहन चालक के संबंध में स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र आवश्यक को विलोपित करता है.

नया रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 10-12/2015/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27, सन् 1960) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा दी गई प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित व्यक्तियों को क्रमशः श्रम अधिकारी एवं उप श्रम अधिकारी नियुक्त करता है :—

अनुक्रमांक (1)	प्रथम अनुसूची (2)	अनुक्रमांक (3)	द्वितीय अनुसूची (4)
1.	श्री एस. एल. जांगड़े	1.	श्री व्ही. आर. पटेल
2.	श्री सविता मिश्रा	2.	श्री रुबेन खेस

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्री डी. पी. तिवारी	3.	श्री पी. के. बिचपुरिया
4.	श्रीमती अनिता गुप्ता	4.	श्री. डी. के. राजपूत
5.	श्री यू. के. मेश्राम	5.	श्री एस. के. सिंह
6.	श्री एस. एस. पैकरा	6.	श्री ए. के. चौरसिया
7.	श्री विकास सरोदे	7.	श्री जी. डी. प्रसाद
8.	श्री बी. एस. बरिहा	8.	श्री राजकुमार तम्हाने
9.	श्री यू. के. कच्छप	9.	श्री के. के. सिंह
10.	श्री अजय हेमन्त देशमुख	10.	श्री किंगजोर केरकेट्टा
11.	श्री अनिल कुजूर	11.	श्री घनश्याम पाणिग्रही
12.	श्री शोएब काजी	12.	श्री नितेश कुमार विश्वकर्मा
13.	श्रीमती श्रद्धा केसरवानी	13.	श्री पायल शर्मा
14.	श्री तेजेश कुमार	14.	श्री सुदेश कुमार
15.	श्रीमती ज्योति शर्मा	15.	श्री आजाद सिंह पात्रे
		16.	श्री खीर प्रसाद ठाकुर
		17.	श्री जी. एस. सोनी
		18.	श्री आर. के. प्रधान
		19.	श्री राजेश आदिले
		20.	श्री राम आसरे नेताम
		21.	श्री आर. जी. सुधाकर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur the 21st December, 2017

F. No. 12120/3849/XXI-B/C.G./17.—In compliacne of Memo No. 1275/1-8-6/2001 (Pt. III)/Confdl./2017, Bilaspur, dated 12-12-2017, and on recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, the State Government, hereby, withdrawing the services of the following members of Lower Judicial Services specified in column (2) of the Schedule below from the High Court of Chhattisgarh, places them under Law and Legislative Affairs Department, Government of Chhattisgarh and appoints them as mentioned in column (3) of Schedule, from the date they assume charge of their Office, namely :—

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present place of posting (2)	Posted as (3)
1.	Shri Degvijay Singh, Secretary, District Legal Service Authority, Durg.	Deputy Sercretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur.
2.	Shri Jitendra Kumar Singh, III Civil Judge Class-I, Jagdalpur.	Secretary, District Legal Service Authority Durg.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAVISHANKAR SHARMA, Principal Secretary.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 19-15/2017/25-2.—इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-32/2015/25-2 नया रायपुर दिनांक 23-12-2015 द्वारा श्री एम. आर. खान, सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी रायपुर को सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था.

2. श्री एम. आर. खान, को सचिव, छ.ग. राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए राज्य शासन एतद्-द्वारा श्री बद्रीश सुखदेवे, सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, संयुक्त सचिव.

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 7-7/2017/सक/26.—राज्य शासन एतद् द्वारा तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों हेतु किये जा रहे कार्यों की गतिविधियों को और गति देने, नवाचार को बढ़ावा देने एवं मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु अन्तविभागीय समिति के रूप में निम्नानुसार टास्क फोर्स का गठन करता है :—

1.	संचालक, समाज कल्याण संचालनालय	अध्यक्ष
2.	संयुक्त/उप संचालक, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक संचालनालय.	सदस्य
3.	जिला-रायपुर एवं बिलासपुर के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी (अपर कलेक्टर स्तर).	सदस्य
4.	संयुक्त/उप संचालक, महिला एवं बाल विकास संचालनालय	सदस्य
5.	संयुक्त/उप संचालक अथवा गृह विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6.	संयुक्त/उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय	सदस्य
7.	संयुक्त/उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय	सदस्य
8.	उप संचालक, समाज कल्याण संचालनालय	सदस्य सचिव
9.	तृतीय लिंग वर्ग सदस्य (प्रति संभाग एक सदस्य)	सदस्य

2. टास्क फोर्स का निम्नानुसार दायित्व होगा :—

2.1 टास्क फोर्स तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन हेतु विभिन्न विभागों में केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु प्रसारित दिशा-निर्देशों को परिणाम मूलक बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेगा.

2.2 मैदानी स्तर के अधिकारियों के साथ पर्याप्त समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं के प्रभावी एवं त्वरित क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठायेगा.

2.3 टास्क फोर्स के अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल 01 वर्ष होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत लाल बंजारे, अपर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 816/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	साल्हेभाठा प.ह.नं. 48	2.00	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर एवं उप शाखा नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम साल्हेभाठा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 06-01-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) साल्हेभाठा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम साल्हेभाठा के 145.00 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	36
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3507.03 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से 145.00 हे.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	धनादेश क्र. 140018 दि. 25-03-2017 रु. 6580080.00 द्वारा जमा कर दिया गया है.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 820/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	बैगाखम्हरिया प.ह.नं. 48	1.48	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर एवं उप शाखा नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम बैगाखम्हरिया.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 06-01-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) साल्हेभाठा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम बैगाखम्हरिया के 145.00 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 37

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां

(आठ) परियोजना की कुल लागत — रु. 3507.03 लाख

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ — खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से 145.00 हे.

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — धनादेश क्र. 140018 दि. 25-03-2017 रु. 3477760.00 द्वारा जमा कर दिया गया है.

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 824/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	साल्हेडबरी प.ह.नं. 29	1.94	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर एवं उप शाखा नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम साल्हेडबरी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 29-12-2017 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) साल्हेडबरी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम साल्हेडबरी के 80.00 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	32
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3507.03 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से 80.00 हे.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	धनादेश क्र. 140018 दि. 25-03-2017 रु. 3833440.00 द्वारा जमा कर दिया गया है.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 828/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	डोंगरगांव प.ह.नं. 30	0.17	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर एवं उप शाखा नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम डोंगरगांव.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 30-12-2017 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) डोंगरगांव पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम डोंगरगांव के 60.00 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 06

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां

(आठ) परियोजना की कुल लागत — रु. 3507.03 लाख

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ — खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से 60.00 हे.

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — धनादेश क्र. 140018 दि. 25-03-2017 रु. 355680.00 द्वारा जमा कर दिया गया है.

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 832/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	सिमगांव प.ह.नं. 49	0.11	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर एवं उप शाखा नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम सिमगांव.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 28-12-2017 को (समय) 3.00 बजे (स्थान) सिमगांव पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम सिमगांव के 20.00 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3507.03 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से 20.00 हे.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	धनादेश क्र. 140018 दि. 25-03-2017 रु. 1343680.00 द्वारा जमा कर दिया गया है.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 836/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	सेनभाठा प.ह.नं. 31	1.00	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर एवं उप शाखा नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम सेनभाठा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 29-12-2017 को (समय) 3.00 बजे (स्थान) बोड़रीदादर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम सेनभाठा के 30.00 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	29
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3507.03 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से 30.00 हे.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	धनादेश क्र. 140018 दि. 25-03-2017 रु. 1956240.00 द्वारा जमा कर दिया गया है.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 840/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	दाईजबांधा प.ह.नं. 48	0.70	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर एवं उप शाखा नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम दाईजबांधा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 06-01-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) साल्हेभाठा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम दाईजबांधा के 66.00 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	16
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3507.03 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से 66.00 हे.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	धनादेश क्र. 140018 दि. 25-03-2017 रु. 1383200.00 द्वारा जमा कर दिया गया है.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 844/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	कोसमी प.ह.नं. 49	3.31	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर एवं उप शाखा नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम कोसमी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 28-12-2017 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) कोसमी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम कोसमी के 126.00 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 82

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां

(आठ) परियोजना की कुल लागत — रु. 3507.03 लाख

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ — खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से 126.00 हे.

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — धनादेश क्र. 140018 दि. 25-03-2017 रु. 6995040.00 द्वारा जमा कर दिया गया है.

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 848/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	खेमड़ा प.ह.नं. 30	1.77	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर एवं उप शाखा नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम खेमड़ा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 30-12-2017 को (समय) 3.00 बजे (स्थान) खेमड़ा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम खेमड़ा के 133.00 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 34

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां

(आठ) परियोजना की कुल लागत — रु. 3507.03 लाख

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ — खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से 133.00 हे.

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — धनादेश क्र. 140018 दि. 25-03-2017 रु. 9800960.00 द्वारा जमा कर दिया गया है.

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखें)

क्रमांक 852/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	छिबर्रा प.ह.नं. 49	0.75	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर एवं उप शाखा नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम छिबर्रा

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 28-12-2017 को (समय) 3.00 बजे (स्थान) सिमगांव पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम छिबर्रा के 100.00 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 16

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(छ:) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां

(आठ) परियोजना की कुल लागत — रु. 3507.03 लाख

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ — खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से 100.00 हे.

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — धनादेश क्र. 140018 दि. 25-03-2017 रु. 1837680.00 द्वारा जमा कर दिया गया है.

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 856/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	मनकी प.ह.नं. 46	0.30	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर पाईप लाईन क्षेत्र का नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम मनकी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 04-01-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) खुर्सीपार पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम मनकी में खरीफ सिंचाई निरंक.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	12
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3507.03 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से निरंक हे.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	धनादेश क्र. 203246 दि. 24-11-2017 रु. 474432.00 द्वारा जमा करा दिया गया है.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 860/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	सोनामुंदी प.ह.नं. 45	0.28	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर पाईप लाईन क्षेत्र का नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम-सोनामुंदी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 05-01-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) सिवनीकला पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम सोनामुंदी के 103.00 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 07

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां

(आठ) परियोजना की कुल लागत — रु. 3507.03 लाख

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ — खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से 103.00 हे.

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — धनादेश क्र. 203246दि. 24-11-2017 रु. 4,42,803.00 द्वारा जमा करा दिया गया है.

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 864/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	सिवनी खुर्द प.ह.नं. 45	0.14	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर पाईप लाईन क्षेत्र का नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम-सिवनी खुर्द.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 05-01-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) सिवनीकला पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम सिवनीखुर्द के 45.00 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	09
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3507.03 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से 45.00 हे.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	धनादेश क्र. 203246दि. 24-11-2017 रु. 189773.00 द्वारा जमा करा दिया गया है.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 868/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	कोमाखान प.ह.नं. 33	0.16	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर पाईप लाईन क्षेत्र का नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम-कोमाखान

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 02-01-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) कोमाखान पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम कोमाखान के 26.00 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 04

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां

(आठ) परियोजना की कुल लागत — रु. 3507.03 लाख

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ — खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से 26.00 हे.

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — धनादेश क्र. 203246दि. 24-11-2017 रु. 2,53,030.00 द्वारा जमा करा दिया गया है.

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 872/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	बाम्हनडीह प.ह.नं. 47	0.04	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर पाईप लाईन क्षेत्र का नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम-बाम्हनडीह.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 02-01-2018 को (समय) 3.00 बजे (स्थान) पटपरपाली पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम बाम्हनडीह में खरीफ सिंचाई निरंक.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3507.03 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से निरंक हे.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	धनादेश क्र. 203246 दि. 24-11-2017 रु. 63258.00 द्वारा जमा करा दिया गया है.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 876/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	सिवनीकला प.ह.नं. 45	0.10	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर पाईप लाईन क्षेत्र का नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम-सिवनीकला.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 05-01-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) सिवनीकला पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम सिवनीकला में के 63.00 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 06

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां

(आठ) परियोजना की कुल लागत — रु. 3507.03 लाख

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ — खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से 63.00 हे.

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — धनादेश क्र. 203246 दि. 24-11-2017 रु. 158144.00 द्वारा जमा करा दिया गया है.

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 880/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	टेमरी प.ह.नं. 47	0.38	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर पाईप लाईन क्षेत्र का नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम-टेमरी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 03-01-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) टेमरी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम टेमरी में 203.00 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	17
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3507.03 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से 203.00 हे.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	धनादेश क्र. 203246 दि. 24-11-2017 रु. 6,00,947.00 द्वारा जमा करा दिया गया है.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 884/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	खट्टाडीह प.ह.नं. 47	0.09	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर पाईप लाईन क्षेत्र का नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम-खट्टाडीह.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 03-01-2018 को (समय) 3.00 बजे (स्थान) करहीडीह पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम खट्टाडीह में के 27.00 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3507.03 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से 27.00 हे.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	धनादेश क्र. 203246 दि. 24-11-2017 रु. 1,42,330.00 द्वारा जमा करा दिया गया है.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखें)

क्रमांक 888/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	करहीडीह प.ह.नं. 47	0.16	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर पाईप लाईन क्षेत्र का नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम-करहीडीह.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 03-01-2018 को (समय) 3.00 बजे (स्थान) करहीडीह पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम करहीडीह में के 127.00 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	05
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3507.03 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से 127.00 हे.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	धनादेश क्र. 203246 दि. 24-11-2017 रु. 94886.00 द्वारा जमा करा दिया गया है.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 892/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	चन्दरपुर प.ह.नं. 47	0.18	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर पाईप लाईन क्षेत्र का नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम-चंदरपुर.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) .... को (समय) .... बजे (स्थान) .... पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम चन्दनपुर में में खरीफ सिंचाई निरंक.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	07
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3507.03 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से निरंक हे.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	धनादेश क्र. 203246 दि. 24-11-2017 रु. 2,84,659.00 द्वारा जमा करा दिया गया है.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 896/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	कोचर्रा प.ह.नं. 31	0.13	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर पाईप लाईन क्षेत्र का नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम-कोचर्रा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 29-12-2017 को (समय) 3.00 बजे (स्थान) बोड़रीदादर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम कोचर्रा में 61.00 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 06

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां

(आठ) परियोजना की कुल लागत — रु. 3507.03 लाख

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ — खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से 61.00 हे.

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — धनादेश क्र. 203246 दि. 24-11-2017 रु. 205587.00 द्वारा जमा करा दिया गया है.

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 900/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	देवरी प.ह.नं. 46	1.05	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर पाईप लाईन क्षेत्र का नहर निर्माण कार्य का भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम-देवरी.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 04-01-2018 को (समय) 3.00 बजे (स्थान) देवरी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना से ग्राम देवरी में 10.00 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	29
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3507.03 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	खरीफ सिंचित 1956.00 हे. में से 10.00 हे.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	धनादेश क्र. 203246 दि. 24-11-2017 रु. 16,60512.00 द्वारा जमा करा दिया गया है.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 904/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	बागबाहरा	कस्तुरबोड़ प.ह.नं. 06	0.27	गबौद जलाशय के डुबान क्षेत्र में प्रभावित ग्राम कस्तुरबोड़ प.ह.नं. 06 का भू-अर्जन प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 08-01-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) सुखरीडबरी बी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	गबौद जलाशय से 536.00 हे. खरीफ सिंचाई की जा जा सकेगी.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 63.65 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	खरीफ सिंचित क्षेत्र 536.00 हे. में से जलाशय के डूबान क्षेत्र में.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	धनादेश क्र. 480431 दि. 05-06-2012 रु. 97488.00 द्वारा जमा करा दिया गया है.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 11 अक्टूबर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/14255/क/भू-अर्जन/2017..—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कोरबा	कोरबा	0.66 ए.	सर्वमंगला बाईपास सड़क निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 25-10-2017 को समय 12.00 बजे से स्थान सामुदायिक भवन में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — सर्वमंगला बाईपास सड़क निर्माण
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 02
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां
8. परियोजना की कुल लागत — 8.33 लाख
9. परियोजना से होने वाला लाभ — आवागमन की सुविधा हेतु
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को राशि 5.00 लाख का भुगतान चेक क्रमांक 235943 दिनांक 05-04-2017 के माध्यम से जमा किया गया है.
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 4 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक 19215/भू-अर्जन/2017..—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पोंड़ीउपरोड़ा	आमाखोखरा	3.117 हे.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 20-12-2017 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन-रामपुर (ता.) में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — कटघोरा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 08 परिवार
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 08 परिवार
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां
8. परियोजना की कुल लागत — रु. 5607.66 लाख
9. परियोजना से होने वाला लाभ — कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण का विस्तार होने से सिंचाई की रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्रमांक 54/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	काठाकोनी प.ह.नं. 48	0.62	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 जनवरी 2018

क्रमांक 51/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	चोरभट्ठी खुर्द प.ह.नं. 49	8.36	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 जनवरी 2018

क्रमांक 52/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	निरतु प.ह.नं. 53	10.34	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2017

रा.प्र.क्र. 03/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-सूरजपुर
   (ख) तहसील-प्रेमनगर
   (ग) नगर/ग्राम-महोरा
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.63 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	404	0.22
	253	0.41
योग		0.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. देवसेनापति, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जशपुर (छत्तीसगढ़)

जशपुर, दिनांक 2 जनवरी 2018

क्रमांक/04/वित्त स्था./स्थानीय अवकाश/2018.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2/1999/1/4/भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत् सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. प्रियंका शुक्ला, कलेक्टर जशपुर वर्ष 2018 के लिए जशपुर जिले में निम्नलिखित तिथियों में स्थानीय अवकाश घोषित करती हूं :—

क्रमांक (1)	स्थानीय अवकाश का नाम (2)	दिनांक (3)	दिन (4)	रिमार्क (5)
1.	होली का दूसरा दिन	03-03-2018	शनिवार	जशपुर जिले में
2.	अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस	09-08-2018	गुरूवार	जशपुर जिले में
3.	दीपावली का दूसरा दिन	08-11-2018	गुरूवार	जशपुर जिले में

डॉ. प्रियंका शुक्ला,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्रमांक 04/दो-3-65/2007.—श्री जगदम्बा राय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी को उनके आवेदन पत्र दिनांक 12-12-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, बजट अधिकारी.